



RCSdE

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार



पीएमश्री (व्यावसायिक शिक्षा) विद्यालयों हेतु दिशा-निर्देश सत्र 2026-27



हमारा उद्देश्य : कौशल भारत-कुशल भारत





समग्र शिक्षा द्वारा जारी गाइडलाइन के सरलीकरण में मील का पत्थर 'व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि'



गेस्ट लेक्चर

स्किल एजीबिशन कम
कम्पीटिशन

औद्योगिक भ्रमण

प्लेसमेंट ड्राइव (आउटरिच)

ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्न
शिप

एक्सपोजर विजिट

अब इनके बारे में जानने के लिए वीडियो देखें और शेयर करें

@rajeduofficial

@rajeduofficial

@rajeduofficial

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1	व्यावसायिक शिक्षा योजना – परिचय	1-6
	• योजना के मुख्य बिन्दु	3-4
	• अध्ययन योजना (Scheme of Studies), परीक्षा व मूल्यांकन	5-6
2	योजना क्रियान्वयन में सहयोगी संस्थायें व उनके कार्य	7-9
3	AWP & B 2026-27 में अनुमोदित बजट प्रावधान	10-14
4	व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि क्रियान्वयन दिशा-निर्देश	15-39
	• गेस्ट लेक्चर (Guest Lectures on Data Analytic, Space Technology, BI, Cyber Security)	15-16
	• औद्योगिक भ्रमण (Industrial Visit)	17-18
	• ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप (On Job Training/Internship)	19-20
	• कौशल बोध कार्यक्रम (कक्षा 6 से 8 हेतु) (Exposure to Vocational Education { Implementation of Kaushal Bodh Program in Class 6 th to 8 th })	21-27
	• स्किल कनेक्ट सेशनस ('नो बैग शनिवार'-कक्षा 6 से 8 हेतु) (Skill Connect Sessions {NO Bag Saturdays})	28-33
	• राज्य स्तरीय State Resource Group (SRG) प्रशिक्षण	34
	• करियर शिक्षक प्रशिक्षण (Training of Career Teacher)	35-36
	• करियर शिक्षा कार्यक्रम किट (Career Education Program Kit)	37
	• रॉ मटेरियल ग्रांट (Raw Material Grant)	38
	• Office Expenses/Contingencies	39
5	जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय व विद्यालय स्तर के कार्य एवं उत्तरदायित्व	40-47
	• जिला कार्यालय (CDEO/ADPC/APC/PO)	40-41
	• मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) कार्यालय	42
	• संस्था प्रधान के कार्य एवं उत्तरदायित्व	43-45
	• कौशल मित्र के कार्य एवं उत्तरदायित्व	46-47
6	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, व्यावसायिक प्रशिक्षक, एसकेएफ/व्यावसायिक समन्वयक के कार्य एवं उत्तरदायित्व	48-55
	• व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता	48-50
	• व्यावसायिक प्रशिक्षक	51-53
	• स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक	54-55
7	मानदेय पुनर्भरण, अन्य व्यय के भुगतान संबंधित दिशा-निर्देश व प्रपत्र	56-62
	• मानदेय पुनर्भरण, अन्य व्यय के भुगतान संबंधित दिशा-निर्देश	56-58
	• व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थिति प्रमाण प्रपत्र-अ	59-60
	• स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक निरीक्षण प्रपत्र-ब	61-62

क्रमांक: रास्कूशिप/जय/व्या.शि./दिशा-निर्देश/2026-27/7008 दिनांक 10/07/2026

पीएमश्री (व्यावसायिक शिक्षा) दिशा-निर्देश – सत्र 2026-27

अध्याय-1 व्यावसायिक शिक्षा योजना – परिचय

अवधारणा :-

वर्तमान में वैश्विक बाजार एवं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिये प्रशिक्षित रोजगारोन्मुखी एवं प्रतिस्पर्धात्मक मानवीय संसाधनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुये शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत सन् 1988 में व्यावसायिक शिक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया, जिसके माध्यम से 10,000 विद्यालयों के लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात् 14-18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की सीखने की अधिकतम क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयी शिक्षा में संशोधित योजना “Vocationalization of Secondary and Higher Secondary Education” का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं संशोधित व्यावसायिक शिक्षा योजना के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से राजस्थान के 11 जिलों के 70 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 16 एवं टॉस्क संख्या 230, 231, 232 व 233 में व्यावसायिक शिक्षा के संन्दर्भ में वर्णित मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

- (1) व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि –
 - (अ) विद्यालयी शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे व अन्य व्यवसायों से परिचित हो।
 - (ब) विद्यार्थियों को आरम्भिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जायेगा, जिसे उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च कक्षाओं का उत्तीर्ण पश्चात् उच्चतर शिक्षा तक सुचारु रूप से जारी रखा जायेगा।
- (2) वर्ष 2026 तक विद्यालय और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जायेगा।
- (3) चरणबद्ध तरीके से अगले दशक (2021 से 2030) में माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जायेगा।

28/7/26

NEP 2020 के प्रावधानों में वर्णित दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन एवं प्रगति के क्रम में राज्य में सत्र 2026-27 में नवीन गतिविधियों का समावेश कर व्यावसायिक शिक्षा योजना तैयार की गई।

उद्देश्य –

1. शिक्षा एवं रोजगार के मध्य निर्दिष्ट अन्तराल को कम करना।
2. विद्यालयी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना।
3. आरम्भिक वर्षों (उच्च प्राथमिक) में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करना।
4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर एवं रोजगारोन्मुखी बनाना।
5. उच्च प्राथमिक से होते हुए माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में रोजगार एवं कौशल विकास की क्षमता विकसित करना।
6. विद्यालय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉपआउट दर को कम कर ठहराव सुनिश्चित करना।
7. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना।

व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत पीएमश्री विद्यालयों में संचालित सेक्टर एवं जॉब रोल का विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Sector	Job Role for Class 9 th & 10 th	Job Role for Class 11 th & 12 th
1.	Agriculture	Solanaceous Crop Cultivator	Micro-irrigation Technician
		Dairy Worker	Dairy Farmer / Entrepreneur
2.	Apparel Made ups & Home Furnishing	Sewing Machine Operator	Specialized Sewing Machine Operator
3.	Automotive	Four-Wheeler Service Assistant 3 (V-2.0)	Four-Wheeler Service Technician (V-1.0)
4.	Banking, Financial Services & Insurance	Microfinance Executive	Business Correspondent & Business Facilitator
5.	Beauty & Wellness	Assistant Beauty Therapist	Beauty Therapist
6.	Construction	Assistant Mason	General Mason
7.	Electronics & Hardware	Field Technician Other Home Appliances	Installation Technician Computing & Other Peripherals
8.	Food Processing	Jam Jelly, and Ketchup Processing Technician	Craft Baker
9.	Healthcare	Home Health Aide Trainee	GDA Trainee
10.	IT/Ites	Domestic Data Entry operator	Domestic CRM Voice
11.	Plumber	Assistant Plumber (General)	Plumber (General)
12.	Security	Security Guard	NA
13.	Retail	Retail Cashier	Retail Sales Associate
14.	Telecom	Optical Fiber Splicer	Optical Fiber Technician
15.	Tourism and Hospitality	Food & Beverage Service Assistant	Food and Beverage Service-Associate

व्यावसायिक शिक्षा योजना के मुख्य बिन्दु :-

1. व्यावसायिक शिक्षा योजना, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "National Skill Qualification Framework" के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है।
2. राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सेक्टर के पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने हेतु National Skill Qualification Framework द्वारा Levels तैयार किये गये हैं। National Skill Qualification Framework के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा योजना के 10 लेवल हैं इनमें प्रथम चार लेवल L-1 से L-4 विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 के लिए हैं।
3. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विद्यालयों में सेक्टर का चयन विद्यालय के आस-पास उपलब्ध उद्योगों (Industry) व क्षेत्र विशेष की आवश्यकता एवं रोजगार उपलब्धता के अवसरों के आधार पर किया जाता है।
4. विद्यार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु चयन व्यावसायिक प्रशिक्षक, कौशल मित्र, संस्था-प्रधान आदि से परामर्श व मार्गदर्शन के आधार पर किया जाता है।
5. प्रत्येक चयनित विद्यालय में अनुमोदित एक अथवा दो सेक्टर में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है तथा प्रत्येक विद्यार्थी को उनके द्वारा चयनित एक सेक्टर में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
6. व्यावसायिक शिक्षा संचालन हेतु चयनित विद्यालय की कक्षा-9 में प्रति सेक्टर अधिकतम 40 विद्यार्थियों का चयन कर नवीन प्रवेश दिया जाता है।
7. कक्षा 11 में विद्यार्थी नवीन प्रवेश तथा नवीन सेक्टर का चयन कर सकता है।
8. व्यावसायिक शिक्षा हेतु नवीन अनुमोदित विद्यालयों में प्रथम वर्ष कक्षा 9 व आगामी वर्षों में क्रमशः 10, 11 व 12 का संचालन किया जाता है।
9. व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय का शिक्षण कार्य राज्य स्तर से चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा नियोजित किये गये व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक प्रशिक्षकों की योग्यता पण्डित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE), भोपाल के सुझाव अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा निर्धारित की जाती है।
10. चयनित पीएमश्री विद्यालयों में 30 विद्यालयों पर एक स्किल नॉलेज फॅसिलिटेटर नियुक्त किया गया है (किसी जिले में 30 से कम विद्यालय होने की स्थिति में स्किल नॉलेज फॅसिलिटेटर में बराबर विद्यालयों का आवंटन किया जाना है)। जिसके द्वारा प्रत्येक माह इनमें से न्यूनतम 22 विद्यालयों का निरीक्षण अर्थात् प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक विद्यालय का कम से कम दो बार निरीक्षण करना अनिवार्य है।


AD

11. व्यावसायिक शिक्षा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये जाने व योजना के सुचारु रूप से संचालन की दृष्टि से जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ संस्था प्रधान व कौशल मित्र का आमुखीकरण तथा चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा नियोजित किये गये स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर तथा व्यावसायिक प्रशिक्षकों का राज्य स्तर से विभिन्न चरणों में आमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।
12. विद्यालयों में सेक्टर से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल तथा राज्य स्तर की समिति से अनुमोदन उपरान्त सेक्टर से सम्बन्धित टूल्स/मशीन/उपरकण/सामग्री का निर्धारित मानकों के अनुसार क्रय कर व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशाला स्थापित की जाती है।
13. पाठ्यक्रम व व्यवसाय क्षेत्र की उभरती मांग के मध्य सेतु बनाने तथा विद्यार्थियों में सम्बन्धित सेक्टर में प्रासंगिक कौशल व ज्ञान को अद्यतन करने के लिए विद्यालय स्तर पर 16 गेस्ट लेक्चर (4 सॉफ्ट स्किल व 12 डोमेन सेक्टर) का आयोजन किया जाता है।
14. कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य स्थल के अनुभव व रोजगार की सम्भावनाओं से अवगत कराने के लिए प्रत्येक 03 माह में एक बार तथा शैक्षणिक सत्र में कुल 03 औद्योगिक भ्रमण करवाये जाते हैं।
15. कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को प्राप्त ज्ञान व कार्य क्षेत्र के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने तथा विद्यार्थी को कार्य स्थल पर कार्य करने का प्राथमिक अवसर उपलब्ध करवाने हेतु 80-80 घण्टे की ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप का आयोजन किया जाता है।

अध्ययन योजना (Scheme of Studies), परीक्षा व मूल्यांकन -

1. व्यावसायिक शिक्षा विषय को कक्षा 9 (लेवल-1) व 10 (लेवल-2) में सातवें अतिरिक्त विषय के रूप में अध्ययन का प्रावधान है। जिसके लिए विद्यालय के समय विभाग चक्र के अतिरिक्त समय में कालांश आवंटित कर लेवल-1 व लेवल-2 के लिये PSSCIVE द्वारा निर्धारित 200-200 घंटे की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जानी है।
2. कक्षा 9 व 10 में व्यावसायिक शिक्षा विषय तथा सामाजिक विज्ञान विषय में से अधिक अंक लाने वाले विषय को सम्मिलित कर सर्वाधिक 6 विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। इसके लिए विद्यार्थी को दोनों विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करना आवश्यक है।
3. कक्षा 11 (लेवल-3) व 12 (लेवल-4) में विद्यार्थी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय अथवा चतुर्थ अतिरिक्त विषय के रूप में अध्ययन का प्रावधान है। जिसके लिए विद्यालय के समय विभाग चक्र के अतिरिक्त समय में कालांश आवंटित कर लेवल-3 व लेवल-4 के लिये PSSCIVE द्वारा निर्धारित 300-300 घंटे की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जानी है।
4. प्रत्येक कक्षा के व्यावसायिक शिक्षा विषय मूल्यांकन/परीक्षा के अंकों का विभाजन निम्नानुसार है:-

विद्यालय स्तर पर सतत् मूल्यांकन	सैद्धान्तिक परीक्षा	प्रायोगिक कार्य
20	30	50

विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के सतत् मूल्यांकन (20 अंक) का अंक विभाजन निम्नानुसार है:-

1. उपस्थिति - 5 अंक
 2. पोर्टफोलियो - 5 अंक
 3. कक्षा परख - 5 अंक
 4. कक्षा में प्रदर्शन (Performance) - 5 अंक
5. **सैद्धान्तिक परीक्षा:-**
- कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा वार्षिक सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा करवाया जाता है। इस हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी निर्देशानुसार माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा व उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा के आवेदन पत्र विद्यालय द्वारा भरवाये जाने हैं।
 - कक्षा 09 (Level-1) कक्षा 11 (Level-3) की व्यावसायिक शिक्षा विषय के वार्षिक सैद्धान्तिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र जिला स्तर पर निर्माण कर परीक्षा का आयोजन, मूल्यांकन व परीक्षा परिणाम विद्यालय स्तर पर घोषित किया जायेगा।

6. **प्रायोगिक परीक्षा:-**

- कक्षा 10 व 12 के व्यावसायिक शिक्षा विषय की प्रायोगिक परीक्षा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नई दिल्ली व विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराये गये असेसर (Assessor-बाह्य परीक्षक) व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के समन्वय से सम्पन्न करायी जायेगी।
- कक्षा 9 व 11 के व्यावसायिक शिक्षा विषय की प्रायोगिक परीक्षा जिले में सम्बन्धित व्यावसायिक विद्यालय के व्यावसायिक प्रशिक्षक के द्वारा विद्यालय स्तर पर अन्य शैक्षणिक विषयों के साथ जिले द्वारा निर्धारित समयावधि में सम्पन्न करवायी जायेगी।

परीक्षा आयोजन सम्बन्धित विवरण

परीक्षा	कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 11	कक्षा 12
सतत् मूल्यांकन	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर
सैद्धान्तिक परीक्षा	विद्यालय स्तर	बोर्ड स्तर	विद्यालय स्तर	बोर्ड स्तर
प्रायोगिक परीक्षा	जिला स्तर	NSDC/SSC द्वारा	जिला स्तर	NSDC/SSC द्वारा

7. विद्यार्थियों को प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक परीक्षा में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
8. व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत कक्षा 10 व कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर तथा सम्बन्धित Sector Skill Councils द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
9. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 व 10 हेतु 03-03 कालांश, कक्षा 11 हेतु 04 कालांश तथा कक्षा 12 हेतु 02 कालांश प्रति सप्ताह आवंटित किया गया है।
10. व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए PSSCIVE द्वारा निर्धारित 200-200 एवं 300-300 घण्टे की अध्ययन अवधि पूर्ण करने हेतु विद्यालय समय पूर्व/पश्चात अतिरिक्त समय में तथा प्रत्येक शनिवार को आयोजित 'नो बैग डे' में अध्ययन करवाया जायेगा। इसके लिए प्रति सप्ताह कक्षा 9 व 10 हेतु 7-7 कालांश तथा कक्षा 11 व 12 हेतु 8-8 कालांश अध्ययन करवाया जाना है।

अध्याय-2

योजना क्रियान्वयन में सहयोगी संस्थाएँ व उनके कार्य

1. शिक्षा मंत्रालय (MoE), भारत सरकार, नई दिल्ली

- a) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राज्यों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के कौशल विकास की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा योजना का अनुमोदन करना।
- b) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्यालयों तथा ट्रेड/सेक्टर का अन्तिम रूप से अनुमोदन करना।

2. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (RCSCE), जयपुर :

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर समग्र शिक्षा अभियान की गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य स्तर की संस्था है, जिसके मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:-

- a. अनुमोदित योजना का क्रियान्वयन करना।
- b. जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, प्रभावी मॉनिटरिंग तथा संचालन हेतु समय समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना।
- c. योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का चयन कर उन्हें योजना संचालन हेतु विद्यालयों का आवंटन एवं दिशा-निर्देश जारी करना।
- d. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT), नई दिल्ली एवं पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE), भोपाल द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराना।

3. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) नई दिल्ली :-

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत/अधिकृत संस्था है, जो योजना क्रियान्वयन के संबंध में राज्यों को निम्नानुसार सहयोग प्रदान करती है:-

- 1) सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में।
- 2) राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण समिति (VETC) में तकनीकी रूप से सहयोग करना व सेक्टर से सम्बन्धित सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
- 3) विद्यालयों के आस-पास उद्योगों की उपलब्धता व रोजगार की संभावनाओं की मैपिंग करना।
- 4) सेक्टर से संबंधित प्रायोगिक कार्य हेतु सम्बन्धित SSC से समन्वय कर परीक्षक (Accessor) उपलब्ध कराना।
- 5) विद्यार्थियों के मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को सहयोग प्रदान करना।

4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, (NCERT) नई दिल्ली एवं पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) भोपाल:-

पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) भोपाल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली की एक प्रमुख संवैधानिक ईकाई हैं। यह योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्यों को निम्न प्रकार से सहयोग प्रदान करती है:-

1. राज्यों के लिए व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेड/सेक्टर (Sector/Trade) से सम्बन्धित जॉब रोल, पाठ्यक्रम निर्माण व Module निर्माण करना।
2. व्यावसायिक प्रशिक्षकों की योग्यता निर्धारित करना।
3. व्यावसायिक प्रशिक्षकों व व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
4. व्यावसायिक शिक्षा विषयों की प्रयोगशाला हेतु टूल्स, उपकरण तथा फर्नीचर के मापदण्ड (Specifications) का निर्धारण करना।
5. व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें अंग्रेजी/हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराना।

5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (BSER), अजमेर

- a. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (BSER), अजमेर का मुख्य कार्य व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत Scheme of Studies को अंतिम रूप दिया जाकर अधिसूचना जारी करना।
- b. व्यावसायिक शिक्षा विषय के कक्षा-10 (लेवल-2) व कक्षा-12 (लेवल-4) के सैद्धान्तिक परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण करना व परीक्षा का आयोजन कराना।
- c. व्यावसायिक शिक्षा विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) को सहयोग प्रदान करना।
- d. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के समन्वय से विद्यार्थियों के मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम जारी करना एवं प्रमाण पत्र तैयार कर विद्यालयों तक वितरित करना।

6. सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC's)

सेक्टर स्किल काउंसिल, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) से संबद्ध प्रत्येक सेक्टर से सम्बन्धित संस्थाएँ हैं, जिनका प्रमुख कार्य निम्नानुसार है:-

- a) विद्यालयों में ट्रेड/सेक्टर से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु आवश्यक सामग्री के Specifications तैयार करने में राज्यों की सहायता करना व विषय विशेषज्ञ उपलब्ध करवाना। व्यावसायिक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संबंधित सेक्टर के संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध कराना।
- b) विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय के प्रायोगिक कार्य सम्पन्न कराना तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ समन्वय कर मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र तैयार करना।

7. राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल (RSTB), जयपुर

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली/पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE), भोपाल द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न सेक्टर के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विद्यार्थी कार्य पुस्तिकाओं के मुद्रण का कार्य करना तथा मुद्रित सामग्री जिलों के डिपो तक पहुंचाना।

8. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में व्यावसायिक शिक्षा का State Curriculum Framework (SCF) तथा Online Training Module तैयार करना।

9. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC), जयपुर

व्यावसायिक विद्यालयों में नामित कौशल मित्रों के कौशल विकास हेतु आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन।

10. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP's)

योजना संचालन हेतु चयनित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालन हेतु सेक्टरवार आवंटित विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का नियोजन कर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करना।

11. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर प्रदाता (SKFP)

योजना संचालन हेतु चयनित स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर प्रदाताओं द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालन हेतु सेक्टरवार आवंटित विद्यालयों में स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर का नियोजन कर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करना।

अध्याय-3 AWP & B 2026-27 में अनुमोदित बजट प्रावधान

पीएमश्री योजनान्तर्गत AWP & B 2026-27 में अनुमोदित बजट प्रावधान निम्नानुसार है:-

(1) पूर्व में संचालित 549 पीएमश्री विद्यालयों हेतु (Existing) -

S. No.	Activity Master Details	Approved Budget Provision		
		Physical	Unit Cost	Financial (in Lakh)
A	Project Innovation (Recurring)			
1	Exposure to Vocational Education (Implementation of Kaushal Bodh Program in Class 6th)	66603 (Students)	0.00565	376.30695
2	Skill Connect Sessions (NO Bag Saturdays) in 629 PM Shri Schools	629 (Schools)	0.15	94.35
3	Training of SRGs for training of teachers on career counselling by RSCERT (4 SRG per district 4x41=164 3 days of training, 1000 per day per participant)	164 (MT)	0.03	4.92
4	Training of teachers on career counselling by DIET 2 Teachers Per School (559 x 2 = 1108) 3 days of training, 793 per day per participant	1108 (Teachers)	0.02379	26.352
5	Career Education Program Kit (Workbook for all classes 9th to 12th Students, one set of jobcards, 4 sets of teachers' handbook, 4 Posters)	549 (Teachers)	0.14	76.86
	Total of Innovation			578.78895
B	Introduction to Vocational- Recurring Support VE - Existing			
1	Financial Support for Vocational Teacher/ Trainer (For Existing Vocational Trainers @ Rs. 25000 P/M for 12 Months)	819 (VT)	3.00	2457.00
2	Financial Support for Resource Persons (Existing)	549 (Schools)	1.27	697.23
3	Raw material grant (Existing)	549 (Schools)	1.62	889.38
4	Cost of providing Hands on Skill Training Students (Existing)	549 (Schools)	1.64	900.360
5	Assessment and Certification Cost (Existing)	37654 (Students)	0.006	225.924
6	Office Expenses / Contingencies for School (Existing)	549 (Schools)	1.36	746.64
7	In-service Training of VE - Teachers (5 - Days) - (Existing)	819 (VT)	0.025	20.475
	Total of Recurring			5937.009
	Grand Total (Innovation + Recurring)			6515.79795

Handwritten signature/initials

(2) सत्र 2026-27 में नवीन अनुमोदित 10 पीएमश्री विद्यालयों हेतु (New) –

S. No.	Activity Master Details	Approved Budget Provision		
		Physical	Unit Cost	Financial (In Lakh)
A	Project Innovation (Recurring)			
1	Exposure to Vocational Education (Implementation of Kaushal Bodh Program in Class 6th)	1153 (Students)	0.00565	6.51445
2	Skill Connect Sessions (NO Bag Saturdays) in 10 PM Shri Schools	10 (Schools)	0.15	1.50
3	Career Education Program Kit (Workbook for all classes 9th to 12th Students, one set of jobcards, 4 sets of teachers' handbook, 4 Posters	10 (Teachers)	0.14	1.40
	Total of Innovation			9.41445
B	Recurring support for 10 new PM Shri Schools (5 Existing and 5 New Schools)			
1	Financial Support for Vocational Teacher/ Trainer (For Existing Vocational Trainers @ Rs. 23500 P/M)	7 (VT)	3.00	21.00
2	Financial Support for Vocational Teacher/ Trainer (For New Vocational Trainers @ Rs. 22000 P/M)	5 (VT)	2.64	13.20
3	Financial Support for Resource Persons (Existing)	5 (Schools)	1.19182	5.9591
4	Financial Support for Resource Persons (New)	5 (Schools)	0.625	3.125
5	Raw material grant for New Schools (Existing)	5 (Schools)	1.5204	7.602
6	Raw material grant for New Schools (New)	5 (Schools)	0.625	3.125
7	Cost of providing Hands-onfands on Skill Training for Students (Existing)	5 (Schools)	1.53902	7.6951
8	Cost of providing Hands-onfands on Skill Tror aining Students (New)	5 (Schools)	0.600	3.00
9	Assessment and Certification Cost	269 (Students)	0.006	1.614
10	Office Expenses / Contingencies for School (Existing+New)	10 (Schools)	0.888	8.88
11	Induction Training of VE - Teachers (10 -Days) -(New)	5 (VT)	0.050	0.25
12	Inservice Training of VE - Teachers (5 -Days) -(Existing)	7 (VT)	0.025	0.175
	Total of Introduction of VE in Schools - Recurring (New)			75.6252
	Grand Total (Innovation + Recurring)			85.03965
C	Introduction to Vocational Education (Non- Recurring)			
1	Tools & Equipment (NR) for 5 New PM Shri Schools	5 (Schools)	5.00	25.00
	Total of NR			25.00
	Grand Total (Innovation + Recurring + Non-recurring)			110.03965

1. नवाचार (Innovation Projects) –

- **Exposure to Vocational Education (Implementation of Kaushal Bodh Program in Classes 6th to 8th :-** कौशल बोध कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्व संचालित (Existing) 629 विद्यालयों एवं नवीन (New) अनुमोदित 10 पीएम श्री विद्यालयों अर्थात कुल 639 पीएमश्री विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यार्थी ₹565 की दर से वित्तीय

प्रावधान किया गया है। राज्य में कुल 67,756 (66603+1153) विद्यार्थियों के आधार पर कुल राशि ₹ 382.82 लाख अनुमोदित की गई है।

- **Skill Connect Session (NO Bag Saturdays) :-** राज्य के पूर्व संचालित (Existing) 629 विद्यालयों एवं नवीन (New) अनुमोदित 10 विद्यालयों अर्थात कुल 639 पीएमश्री विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु चयनित 'नो बैग शनिवार' पर स्किल कनेक्ट सेशनस आयोजित किए जाने हेतु राशि रु. 15000/- प्रति विद्यालय का प्रावधान किया गया है।
- **Training of State Resource Group (SRGs) :-** इस गतिविधि हेतु PMSHri PAB वर्ष 2026-27 में 164 SRG सदस्यों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु राशि ₹1,000 प्रति प्रतिभागी, प्रति दिवस की दर से कुल ₹4.92 लाख का वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किया गया है।
- **Training of Career Teacher :-** इस गतिविधि हेतु PMSHri PAB वर्ष 2026-27 में 1108 करियर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु राशि ₹793 प्रति शिक्षक, प्रति दिवस की दर से कुल ₹26.352 लाख का वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किया गया है।
- **Career Education Program Kit :-** इस गतिविधि हेतु PMSHri PAB वर्ष 2026-27 में 559 विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय ₹14,000 की दर से कुल ₹76.86 लाख का वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

2. अनावर्ती मद (Non-recurring) –

Tools & Equipment मद में पीएमश्री अन्तर्गत पीएबी सत्र 2026-27 में व्यावसायिक शिक्षा संचालन हेतु नवीन अनुमोदित 05 विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना हेतु राशि रु. 5.00 लाख प्रति लैब की गणना अनुसार कुल राशि रुपये 25.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

3. आवर्ती मद (Recurring) –

- 1) **Financial Support for Vocational Teacher/ Trainer (New & Existing)** मद में राशि का वर्तमान में जिला स्तर से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को, व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय भुगतान के पुनर्भरण हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है।
- 2) **Financial Support for Resource Persons (New & Existing)** मद में विद्यालयों में गेस्ट लेक्चर, स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर के मानदेय व यात्रा व्यय

तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रशासनिक चार्ज पर व्यय किया जाना है। उक्त राशि का उपयोग विद्यालय एवं जिला स्तर द्वारा किया जाना है।

- 3) **Raw Material Grant for New School per Course (New & Existing)** मद में विद्यालयों में व्यावसायिक प्रयोगशाला में प्रशिक्षण के दौरान उपयोग में आने वाली कच्ची सामग्री, उपकरणों के रखरखाव, सॉफ्टवेयर, पुस्तकें, ई-लर्निंग सामग्री आदि के क्रय हेतु सत्र 2026-27 में नवीन (New) अनुमोदित 10 पीएमश्री विद्यालयों के अन्तर्गत क्रमशः पूर्व संचालित 05 विद्यालयों हेतु राशि 1,08,600/- (₹7,602/7) रुपये प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर एवं नवीन अनुमोदित 05 विद्यालयों हेतु राशि 62500/- रुपये प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर का बजट प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त गत सत्रों के पूर्व संचालित (Existing) 549 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि 1,08,593/- (₹889.38/819) रुपये प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग विद्यालय स्तर पर किया जाना है।

- 4) **Cost of Providing Hands Training Students (New & Existing)** मद में सत्र 2026-27 में नवीन (New) अनुमोदित 10 पीएमश्री विद्यालयों के अन्तर्गत क्रमशः पूर्व संचालित 05 विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण एवं कक्षा 11 व कक्षा 12 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु राशि 1,09,930/- (₹7,6951/7) रुपये एवं नवीन अनुमोदित 05 विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर कक्षा 9 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण हेतु राशि 60,000/- रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त गत सत्रों के पूर्व संचालित (Existing) 549 पीएमश्री विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण एवं कक्षा 11 व कक्षा 12 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु राशि रुपये 1,09,930/- (₹900.360/819) का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग विद्यालय स्तर पर किये जाने का प्रावधान है।

- 5) **Assessment and Certification Cost (New & Existing)** मद में नवीन अनुमोदित 10 पीएमश्री विद्यालयों के अन्तर्गत 05 पूर्व संचालित (Existing) विद्यालयों एवं गत सत्रों के पूर्व संचालित (Existing) 549 पीएमश्री विद्यालयों अर्थात् कुल 554 पीएमश्री विद्यालयों की कक्षा 10 व कक्षा 12 में अध्ययनरत् क्रमशः



269 विद्यार्थियों एवं 37654 विद्यार्थियों अर्थात् कुल 37,923 विद्यार्थियों के Assessment एवं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को 100/- रुपये प्रति विद्यार्थी एवं सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउंसिल को 500/- रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से देय है। इस हेतु राशि 600/- प्रति विद्यार्थी की दर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को हस्तान्तरित किये जाने का प्रावधान है।

- 6) **Office Expenses/Contingencies for School (New & Existing)** मद में राशि व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रचार-प्रसार, स्टेशनरी, यात्रा व्यय, एवं परीक्षा सम्बन्धी ई-कन्टेन्ट आदि के लिए सेक्टरवार नवीन (New) अनुमोदित 10 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि रु. 74,000/- (₹8.88/12) प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर तथा पूर्व संचालित (Existing) 549 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि रु. 91,165/- (₹746.64/819) प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि को विद्यालयों को हस्तान्तरित किये जाने का प्रावधान है।
- 7) **In-service Training of VE - Teachers (5 - Days) - (Existing)** मद में नवीन अनुमोदित 10 पीएमश्री विद्यालयों अन्तर्गत 05 पूर्व संचालित (Existing) विद्यालयों एवं गत सत्रों के पूर्व संचालित (Existing) 549 पीएमश्री विद्यालयों के क्रमशः 07 व्यावसायिक प्रशिक्षकों एवं 819 व्यावसायिक प्रशिक्षकों अर्थात् कुल 826 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के 5 दिवसीय In-service Training हेतु प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षक राशि रुपये 2,500 (500 रुपये प्रति दिवस) का बजट प्रावधान है।
- 8) **Induction Training of VE - Teachers (10 - Days)** मद में नवीन 05 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के 10 दिवसीय Induction Training हेतु प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षक राशि रुपये 5000 (500 रुपये प्रति दिवस) का प्रावधान है।

Levno

अध्याय-4
व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि क्रियान्वयन दिशा-निर्देश

1. गेस्ट लेक्चर – Guest Lectures on Data Analytic, Space Technology, BI, Cyber Security

LTA-Long Term Activity

परिचय –

गेस्ट लेक्चर गतिविधि पाठ्यक्रम व व्यवसाय क्षेत्र की उभरती मांग के मध्य सेतु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रासंगिक कौशल, करियर विकल्पो एवं नवीन तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु विद्यालय स्तर पर गेस्ट लेक्चर आयोजित किया जायेगा।

उद्देश्य –

- a) विभिन्न क्षेत्रों में उभरती नवीन तकनीकों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना।
- b) विषय विशेषज्ञों व विद्यार्थियों के मध्य सीधा संवाद स्थापित कर अनुभव साझा करना।
- c) विद्यार्थियों में नवीन तकनीकों के प्रति जिज्ञासा व उद्यमिता की रुचि उत्पन्न करना।
- d) दुनिया के वास्तविक परिदृश्य और जीवन के अनुभवों में गतिशीलता एवं कार्य स्थितियों के सम्बन्ध में कौशल विकास।
- e) करियर विकल्पो एवं नवीन तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- f) अध्ययन और रोजगार के बीच निर्दिष्ट अन्तराल को कम करना।
- g) विद्यार्थियों के सैद्धान्तिक ज्ञान व अर्जित कौशल को वास्तविक कार्य स्थल के साथ सम्बद्ध करना।
- h) विद्यार्थियों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, व्यवसाय चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेने, औद्योगिक कौशल का विकास एवं रोजगार की संभावनाओं में अभिवृद्धि करना।
- i) औद्योगिक संस्थानों की कार्यप्रणाली की समझ विकसित करना।

क्रियान्वयन:- गतिविधि का आयोजन निम्नानुसार किया जायेगा –

गेस्ट लेक्चर –

1. व्यावसायिक शिक्षा संचालित 559 पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Sports, Photography, Event Management, Choreography, Data Analytics, Space Technology, Artificial Intelligence, Business Intelligence, Cyber Security, Robotics, Data Science इत्यादि क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों द्वारा विद्यालय स्तर पर उपस्थित होकर गेस्ट लेक्चर प्रदान किया जायेगा।

19/10

2. प्रत्येक विद्यालय में माह जुलाई, 2026 से फरवरी, 2027 के मध्य प्रतिमाह एक गेस्ट लेक्चर के अनुसार सत्र में कुल 16 गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया जायेगा।
3. गेस्ट लेक्चर आयोजन कक्षा 9 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया जाना है।
4. गेस्ट लेक्चर शनिवार (No Bag Day) को आयोजित किया जाना है। माह के किसी भी शनिवार (No Bag Day) को अवकाश, परीक्षा या अन्य अत्यावश्यक आयोजन होने की स्थिति में गेस्ट लेक्चर का आयोजन उसी माह के अन्य दिवस को आयोजित किया जायेगा।
5. विषय-वस्तु व विशेषज्ञों का चयन विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं महत्व के दृष्टिगत संबंधित संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा।
6. प्रत्येक गेस्ट लेक्चर की न्यूनतम अवधि 1 घण्टा होगी।

मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग –

1. गेस्ट लेक्चर आयोजन से सम्बन्धित प्रतिभागी/लाभान्वित विद्यार्थियों सहित समस्त सूचना का निर्धारित प्रपत्र में संधारण कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा तथा प्रपत्र पर गेस्ट लेक्चर देने वाले विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर कराया जाना आवश्यक है। उक्त सभी संधारित रिकार्ड जिला व राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
2. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा गेस्ट लेक्चर पश्चात विद्यार्थियों से फीडबैक लेकर उसमें आवश्यक सुधार किया जायेगा।
3. गेस्ट लेक्चर गतिविधि पर होने वाले व्यय के मूल बिल/रसीद में पूर्ण विवरण यथा-फर्म/व्यक्ति का नाम व पता, दिनांक, प्राप्त की गई राशि का विवरण, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व अन्य व्यय सम्बन्धी विवरण आवश्यक रूप से भरना है।

बजट प्रावधान –

व्यावसायिक शिक्षा संचालन हेतु नवीन (New) अनुमोदित 10 पीएमश्री विद्यालयों तथा पूर्व संचालित (Existing) 549 पीएमश्री विद्यालयों में प्रति कक्षा, प्रति सेक्टर हेतु आयोजित किये जाने वाले प्रति गेस्ट लेक्चर हेतु पीएमश्री पीएबी के मद Guest lectures on data analytic, Space technology, BI, Cyber security में राशि रु. 500/- का बजट प्रावधान किया गया है।

Long
AS

(2) औद्योगिक भ्रमण (Industrial Visit)

LTA-Long Term Activity

परिचय –

कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य स्थल के अनुभव व रोजगार की सम्भावनाओं से अवगत कराने के लिए औद्योगिक भ्रमण का आयोजन किया जायेगा।

उद्देश्य–

- विद्यार्थियों के सैद्धान्तिक ज्ञान व अर्जित कौशल को वास्तविक कार्य स्थल के साथ सम्बद्ध करना।
- विद्यार्थियों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, व्यवसाय चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेने, औद्योगिक कौशल का विकास एवं रोजगार की संभावनाओं में अभिवृद्धि करना।
- औद्योगिक संस्थानों की कार्यप्रणाली की समझ विकसित करना।

टाईमलाईन – सत्र में 03 औद्योगिक भ्रमण। (प्रथम– माह अगस्त, द्वितीय–माह नवम्बर, तृतीय–माह जनवरी)

क्रियान्वयन –

- औद्योगिक भ्रमण का आयोजन कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को प्रत्येक 03 माह में एक बार तथा शैक्षणिक सत्र में कुल 03 औद्योगिक भ्रमण करवाया जाना है।
- प्रत्येक औद्योगिक भ्रमण की न्यूनतम अवधि 2 घण्टे की होगी।
- औद्योगिक भ्रमण हेतु निकटवर्ती (जिले के अन्दर अथवा बाहर) औद्योगिक ईकाई/संस्थाओं का चयन सेक्टर अनुसार सम्पूर्ण योजना का निर्माण स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा माह जुलाई, 2026 तक किया जायेगा।
- विद्यार्थियों के औद्योगिक भ्रमण से पहले स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा सम्बन्धित संस्थान की वांछित अनुमति प्राप्ति उपरान्त व्यावसायिक प्रशिक्षक व कौशल मित्र द्वारा प्री-विजिट किया जाना है।
- औद्योगिक भ्रमण के दिनांक व समय का चयन विद्यालय में अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए ही किया जाये।
- औद्योगिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को पूर्व में सूचित करते हुए आवश्यक सहमति का उत्तरदायित्व कौशल मित्र व संस्था प्रधान का होगा।
- औद्योगिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा का दायित्व कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक का होगा।
- औद्योगिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियों के लिए ट्रांसपोर्ट सम्बन्धी व्यवस्था संस्था प्रधान व कौशल मित्र द्वारा की जायेगी। यह ट्रांसपोर्ट व्यवस्था विद्यालय से औद्योगिक संस्थान तथा औद्योगिक संस्थान से विद्यालय तक ही मान्य रहेगी।
- विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण के दौरान औद्योगिक संस्थाओं का भ्रमण, उनके विभिन्न विभागों एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रदान करते

हुए औद्योगिक संस्थाओं की गतिविधियों का निरीक्षण करवाया जायेगा। भ्रमण के दौरान संस्था की गतिविधियों के बारे में जिज्ञासा के सम्बन्ध में विशेषज्ञों से प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना है। औद्योगिक भ्रमण के दौरान इनसे सम्बन्धित फोटो व वीडियो तैयार किया जाना है।

10. औद्योगिक भ्रमण पश्चात विद्यार्थियों द्वारा भ्रमण के दौरान प्राप्त ज्ञान, अनुभवों एवं अन्तर्दृष्टि पर चर्चा करने हेतु चिन्तनशील (आचार-विचार) सत्र का आयोजन किया जाये तथा लिखित प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाना है।

मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग –

1. औद्योगिक भ्रमण से सम्बन्धित प्रतिभागी/लाभान्वित विद्यार्थियों सहित समस्त सूचना का निर्धारित प्रपत्रों में संधारण कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा। संधारित रिकार्ड जिला व राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
2. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा औद्योगिक भ्रमण पश्चात विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम से सम्बन्धित फीडबैक लेकर उसमें आवश्यक सुधार हेतु सुझाव संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. इस सम्पूर्ण गतिविधि पर होने वाले व्यय के मूल बिल/रसीद में पूर्ण विवरण यथा-फर्म/व्यक्ति का नाम व पता, दिनांक, प्राप्त की गई राशि का विवरण, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व अन्य व्यय सम्बन्धी विवरण आवश्यक रूप से भरना है।

बजट प्रावधान –

नवीन अनुमोदित 10 पीएमश्री विद्यालयों के अन्तर्गत 05 नवीन पीएमश्री विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर कक्षा 9 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण हेतु राशि रुपये 60,000/- का बजट प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त (नवीन) 05 पूर्व संचालित पीएमश्री विद्यालयों एवं गत सत्रों के पूर्व संचालित (Existing) 549 पीएमश्री विद्यालयों अर्थात् कुल 554 पीएमश्री विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण हेतु राशि रुपये 49,930/- का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग विद्यालय स्तर पर किये जाने का प्रावधान है।



(3) ऑन जॉब ट्रेनिंग / इन्टर्नशिप (On Job Training/Internship)

LTA-Long Term Activity

परिचय –

ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप एनएसक्यूएफ का महत्वपूर्ण भाग है। यह गतिविधि कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को प्राप्त ज्ञान व कार्य क्षेत्र के मध्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है तथा विद्यार्थी को कार्य स्थल पर कार्य करने का प्राथमिक अवसर उपलब्ध करवाती है।

उद्देश्य–

- विद्यार्थियों द्वारा कक्षा-कक्ष में प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञान व कौशल को व्यावहारिक या वास्तविक वातावरण में अन्तरित (Transfer) करना।
- विद्यार्थियों में सम्बन्धित सेक्टर के प्रति समझ में अभिवृद्धि।
- विद्यार्थियों को संस्थागत अनुभव प्राप्त करना।
- रोजगार की सम्भावनाओं में वृद्धि तथा रोजगार चयन में सहायता प्रदान करना।
- विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान करना।

टाईमलाईन – माह दिसम्बर, 2026–जनवरी, 2027 (शीतकालीन अवकाश) में।

क्रियान्वयन –

- कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों हेतु सत्र में 80-80 घण्टे की ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप का आयोजन किया जाना है।
- ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप का आयोजन शीतकालीन अवकाश में परिषद द्वारा निर्धारित समयावधि में किया जाना है।
- स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से फील्ड भ्रमण कर सेक्टर से सम्बन्धित निकटवर्ती औद्योगिक ईकाई/संस्थाओं का पूल स्थापित किया जाना है।
- स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप हेतु स्थापित पूल में से संस्थान का चयन कर वांछित अनुमति प्राप्त करेगा। इसके उपरान्त व्यावसायिक प्रशिक्षक व कौशल मित्र द्वारा प्री-विजिट किया जाना है।
- स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा कौशल मित्र एवं संस्था प्रधान को गतिविधि की अवधारणा व कार्यक्रम की रूप रेखा से अवगत करवाया जायेगा।
- ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप से पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के साथ इसके उद्देश्य, महत्त्व, प्रक्रिया आवश्यकताओं आदि हेतु परिचयात्मक सत्र का आयोजन किया जायेगा।
- ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप हेतु विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को पूर्व में सूचित करते हुए आवश्यक सहमति का उत्तरदायित्व कौशल मित्र व संस्था प्रधान का होगा।

20/12/27

8. व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप में जाने वाले तथा रोजगार के इच्छुक विद्यार्थियों की सूची तैयार की जायेगी।
9. विद्यार्थियों हेतु निर्धारित कार्यस्थल पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आयोजित गतिविधि के फोटो, विडियो, विद्यार्थी/संस्था के अनुभव, लॉग बुक का दायित्व व्यावसायिक प्रशिक्षक व कौशल मित्र का रहेगा।
10. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा का दायित्व कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक का होगा तथा ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी व्यवस्था संस्था प्रधान द्वारा की जायेगी। ट्रान्सपोर्ट व्यय एवं व्यवस्था केवल विद्यालय से औद्योगिक संस्थान तथा औद्योगिक संस्थान से विद्यालय तक का ही देय होगा।

मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग –

1. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप के पश्चात व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवायी जायेगी, जिसमें किये गये कार्यों, अर्जित ज्ञान, चुनौतियाँ आदि का विवरण होगा।
2. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप पश्चात संस्थान से विद्यार्थियों की कार्यकुशलता व अनुभव से सम्बन्धित फीडबैक लेकर जिला कार्यालय व संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप पश्चात संस्थान से निरन्तर सम्पर्क कर विद्यार्थियों के भविष्य में रोजगार की संभावनाओं का पता कर समन्वय स्थापित किया जाना है।
4. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप से सम्बन्धित प्रतिभागी/लाभान्वित विद्यार्थियों सहित समस्त सूचना का निर्धारित प्रपत्र में संधारण कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा। संधारित रिकार्ड जिला व राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
5. इस सम्पूर्ण गतिविधि पर होने वाले व्यय के मूल बिल/रसीद में पूर्ण विवरण यथा-फर्म/व्यक्ति का नाम व पता, दिनांक, प्राप्त की गई राशि का विवरण, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व अन्य व्यय सम्बन्धी विवरण आवश्यक रूप से भरना है।

बजट प्रावधान –

नवीन अनुमोदित 10 पीएमश्री विद्यालयों के अन्तर्गत (नवीन) 05 पूर्व संचालित पीएमश्री विद्यालयों एवं गत सत्रों के पूर्व संचालित (Existing) 549 पीएमश्री विद्यालयों अर्थात् कुल 554 पीएमश्री विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप हेतु राशि रुपये 60,000/- का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग विद्यालय स्तर पर किये जाने का प्रावधान है।

Lgms

(4) कौशल बोध कार्यक्रम (कक्षा 6 से 8 हेतु)

Exposure to Vocational Education

(Implementation of Kaushal Bodh Program in Class 6th to 8th)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जो भारतीय दृष्टिकोण और हमारे सभ्यतागत योगदानों में निहित हो, और साथ ही 21वीं सदी की संभावनाओं और चुनौतियों से रचनात्मक रूप से निपटने के लिए छात्रों को तैयार करे। इस उद्देश्य की आधारशिला **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023** द्वारा सभी स्तरों पर रखी गई है। NCF-9.3.2.1, 9.3.2.2 के अनुसार मध्य स्तर (मिडिल स्टेज) पर एनसीएफ का उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य के लिए आवश्यक विविध कौशलों से सुसज्जित करना है, जिससे वे बदलती सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम एवं समर्थ नागरिक बन सकें।

कौशल बोध, कक्षा 6 से 8 के लिए व्यावसायिक शिक्षा की एक गतिविधि-पुस्तिका है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित की गई है। कक्षा 6 से 8 के लिए कौशल बोध पुस्तक हिंदी में ऑनलाइन मोड में NCERT/PSSCIVE की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अनुसार कार्य को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

1. जीवित प्राणियों के साथ कार्य (Work with Life Forms)
2. यंत्रों एवं सामग्री के साथ कार्य (Work with Machines and Materials)
3. मानवीय सेवाओं में कार्य (Work in Human Services)

कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रत्येक श्रेणी से एक-एक परियोजना में भाग लेना होगा- इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को विविध गतिविधियों के माध्यम से व्यावसायिक अनुभव देना है।

कौशल बोध आधारित व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य:-

- गतिविधियों के माध्यम से 21वीं सदी के कौशलों की समझ विकसित करना।
- कार्य और संबंधित सामग्री/प्रक्रियाओं की मूलभूत समझ और कौशल का विकास।
- श्रम की गरिमा और सभी व्यवसायों के प्रति सम्मान।
- विभिन्न व्यवसायों और कार्यों की उपयोगिता को समझना।
- कार्य के साथ-साथ आवश्यक जीवन मूल्यों का विकास।
- दैनिक कार्यों हेतु आवश्यक बुनियादी कौशल एवं ज्ञान।

कौशल बोध कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रणनीति:-

कौशल बोध मुख्य रूप से प्रायोगिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण (Hands on Training) पर आधारित होगा, एवं बजट हेतु PM Shri PAB 2026-27 अंतर्गत स्वीकृत मद "Exposure to Vocational Education (Implementation of Kaushal Bodh Program in Classes 6th to 8th) में स्वीकृत राशी में से विद्यालय स्तर पर किया जाना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा

20/11/23

विद्यालयी शिक्षा 2023 (NCFSE 2023) के अनुरूप कौशल बोध कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जाएगा:-

1. विषय का परिचय:-

वर्तमान शैक्षणिक सत्र से कक्षा 6 से 8 तक कौशल शिक्षा को एक अनिवार्य ग्रेड आधारित विषय के रूप में प्रारम्भ किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन सभी 639 पीएम श्री उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया जाएगा, जिससे उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को कौशल शिक्षा का प्रारम्भिक एवं व्यवस्थित अनुभव प्राप्त हो सके।

यह पहल कौशल शिक्षा के चरणबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षकों की तैयारी तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कौशल शिक्षा को नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के साथ एकीकृत करेगी।

2. समय निर्धारण:-

विद्यालय की समय-सारिणी में कौशल बोध के लिए पृथक शिक्षण अवधि निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कुल 110 घंटे (40 मिनट अवधि के 165 कालांशों के समतुल्य) निर्धारित किए जाएँगे।

अनुभवात्मक सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु 5 कालांश निर्धारित किये जायें। इनमें सप्ताह में दो बार लगातार दो कालांशों का प्रावधान किया जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित एवं व्यावहारिक कार्यों के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके।

3. प्रोजेक्ट आधारित सीखने की प्रक्रिया:-

प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा वर्ष में तीन प्रोजेक्ट पूर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य के तीन आधारभूत रूपों में से एक-एक पर आधारित होगा।

- जीवित प्राणियों के साथ कार्य (Work with Life Forms)
- मशीनों एवं सामग्रियों के साथ कार्य (Work with Machines and Materials)
- मानव सेवाओं से संबंधित कार्य (Work in Human Services)

प्रत्येक प्रोजेक्ट लगभग 30 घंटे (45 कालांश) का होगा तथा इसे 2 से 3 माह की अवधि में पूर्ण किया जाएगा। प्रोजेक्ट आधारित सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा तथा कार्य एवं कौशल के प्रति सम्मान का भाव विकसित होगा।

4. शिक्षक नामांकन एवं प्रशिक्षण:-

कक्षा 6 से 8 में कार्यरत विद्यालय के वर्तमान शिक्षकों में से, विशेष रूप से विज्ञान अथवा गणित विषयों के शिक्षकों को कौशल बोध प्रशिक्षण हेतु नोडल शिक्षक के रूप में नामित किया जाएगा। प्रत्येक कक्षा के लिए एक नोडल शिक्षक निर्धारित किया जाएगा, जो कौशल बोध गतिविधियों के प्रशिक्षण, संचालन एवं विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का कार्य करेंगे।

नोडल शिक्षकों को प्रतिवर्ष राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT) तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) अथवा राज्य द्वारा निर्धारित संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स द्वारा आयोजित किया जाएगा तथा इसमें शिक्षण-पद्धति, मूल्यांकन, सुरक्षा उपायों एवं स्थानीय संसाधनों के उपयोग जैसे विषय शामिल होंगे।

5. पाठ्यचर्या एवं संसाधन:-

कक्षा 6 से 8 के लिए एनसीईआरटी/पीएसएससीआईवीई द्वारा विकसित कौशल बोध गतिविधि पुस्तिकाएँ हिन्दी भाषा में उपलब्ध हैं तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के उपयोग हेतु पीएसएससीआईवीई एवं एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं।

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल (RSTB), जयपुर द्वारा इन गतिविधि पुस्तिकाओं का मुद्रण कराए जाने के उपरान्त प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

विद्यालय स्तर पर आवश्यक उपकरण, सामग्री तथा उपभोग्य वस्तुओं की व्यवस्था प्रधानाध्यापक एवं संबंधित शिक्षक द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर की जाएगी, ताकि परियोजना आधारित गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

6. शिक्षण एवं अनुभववात्मक गतिविधियाँ:-

- **अतिथि व्याख्यान (Guest Lectures):-** प्रत्येक कक्षा हेतु वर्ष में कुल 3 अतिथि व्याख्यान आयोजित किए जाएँगे, जिनमें कार्य के प्रत्येक क्षेत्र (जीवित प्राणियों के साथ कार्य, मशीनों एवं सामग्रियों के साथ कार्य तथा मानव सेवाओं से संबंधित कार्य) से संबंधित 1-1 व्याख्यान शामिल होंगे।

इन व्याख्यानों के लिए उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों, कुशल कारीगरों तथा विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी पेशेवरों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक व्याख्यान हेतु ₹700/- का मानदेय प्रदान किया जाएगा।

- **शैक्षिक भ्रमण (Field Visits):-** प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वर्ष में न्यूनतम 03 शैक्षिक भ्रमण आयोजित किए जाएँगे। विद्यार्थियों को खेतों, सेवा केन्द्रों, उद्यमों, सरकारी कार्यालयों तथा अन्य वास्तविक कार्यस्थलों का अवलोकन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें कार्य जगत की व्यावहारिक समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी।

वित्तीय प्रावधान:-

कौशल बोध कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्व संचालित (Existing) 629 विद्यालयों एवं नवीन (New) अनुमोदित 10 पीएम श्री विद्यालयों अर्थात् कुल 639 पीएमश्री विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यार्थी ₹565 की दर से वित्तीय प्रावधान किया गया है। राज्य में कुल 67,756 (66603+1153) विद्यार्थियों के आधार पर कुल राशि ₹ 382.82 लाख अनुमोदित की गई है।

29/11/23

कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश गतिविधियाँ विद्यालय स्तर पर आयोजित की जानी हैं तथा इनका लाभ विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से प्राप्त होगा।

अतः कार्यक्रम के प्रभावी संचालन, संसाधनों के समुचित उपयोग तथा वित्तीय प्रबंधन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध राशि का आवंटन विद्यार्थी-आधारित के स्थान पर विद्यालय-आधारित आधार पर किया जाएगा।

राज्य के 639 पीएम श्री विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय उपलब्ध राशि लगभग ₹ 59,910/- होगी। इस राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाएगा:-

क्र.सं.	गतिविधि	संकेतात्मक राशि
1	शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (2-3 दिवसीय, आवश्यकतानुसार)	4,500
2	शैक्षिक भ्रमण (3 भ्रमण)	21,000
3	अतिथि व्याख्यान (9 व्याख्यान, प्रति कक्षा 3 व्याख्यान प्रति वर्ष)	6,300
4	उपकरण, सामग्री, बेसिक टूल किट एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु उपभोग्य सामग्री	18,800
5	कौशल बोध पुस्तिकाएँ एवं स्टेशनरी	7,800
6	विविध/आकस्मिक व्यय	1,510
	कुल	59,910

नोट:- उपरोक्त बजट विभाजन संकेतात्मक है। राज्य/जिला कार्यालय के दिशा-निर्देशों तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

गतिविधिवार व्यय का विवरण:-

1. शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (2-3 दिवसीय, आवश्यकतानुसार)- ₹ 4,500:-

कौशल बोध कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक विद्यालय से नामित नोडल शिक्षक को 2-3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को कौशल बोध पाठ्यचर्या, गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रोजेक्ट कार्यों के संचालन, मूल्यांकन, सुरक्षा उपायों तथा स्थानीय संसाधनों के उपयोग संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी।

इस मद के अंतर्गत शिक्षक के यात्रा व्यय, आवास, भोजन, प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण में सहभागिता से संबंधित अन्य आवश्यक व्ययों का वहन किया जा सकेगा। प्रशिक्षण की अवधि, स्वरूप एवं आयोजन व्यवस्था राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर निर्धारित की जा सकेगी।

2. शैक्षिक भ्रमण (3 भ्रमण) - ₹ 21,000:-

कौशल बोध कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य परिवेश से परिचित कराने हेतु प्रत्येक विद्यालय द्वारा वर्ष में न्यूनतम तीन शैक्षिक भ्रमण आयोजित किए जाएँगे। प्रत्येक भ्रमण कार्य के एक आधारभूत क्षेत्र (जीवित प्राणियों के साथ कार्य, मशीनों एवं सामग्रियों के साथ कार्य तथा मानव सेवाओं से संबंधित कार्य) से संबंधित होगा।

Signature

भ्रमण के माध्यम से विद्यार्थियों को कृषि फार्म, पशुपालन इकाइयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सेवा केन्द्रों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य स्थानीय कार्यस्थलों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। इस मद में प्रति भ्रमण ₹7,000 की दर से कुल ₹21,000 का प्रावधान किया गया है।

3. अतिथि व्याख्यान (9 व्याख्यान, प्रति कक्षा 3 व्याख्यान प्रति वर्ष) – ₹ 6,300:– विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों, कौशलों एवं कार्य क्षेत्रों से परिचित कराने हेतु प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिए प्रति कक्षा तीन अतिथि व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार प्रति विद्यालय कुल 9 अतिथि व्याख्यान आयोजित होंगे। इन व्याख्यानों हेतु स्थानीय उद्यमियों, कुशल कारीगरों, कृषि विशेषज्ञों, तकनीकी विशेषज्ञों, सेवा क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों तथा अन्य संसाधन व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकेगा। प्रत्येक व्याख्यान हेतु ₹700 की दर से कुल ₹6,300 का प्रावधान किया गया है। इन व्याख्यानों के माध्यम से विद्यार्थियों को कार्य जगत, स्थानीय आजीविका अवसरों तथा कौशलों के महत्व के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त होगी।

4. उपकरण, सामग्री, बेसिक टूल किट एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु उपभोग्य सामग्री – ₹18,800:– कौशल बोध कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को कार्य एवं कौशल आधारित अनुभव प्रदान करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा वर्ष में तीन प्रोजेक्ट (जीवित प्राणियों के साथ कार्य, मशीनों एवं सामग्रियों के साथ कार्य तथा मानव सेवाओं से संबंधित कार्य) पूर्ण किए जाने हैं। इन प्रोजेक्ट्स तथा अन्य कौशल गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु विद्यालय स्तर पर आवश्यक उपकरणों, बेसिक टूल किट, सुरक्षा सामग्री एवं उपभोग्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

इस मद के अंतर्गत बीज, पौधे, खाद, बागवानी सामग्री, बेसिक टूल किट, मापन उपकरण, विद्युत एवं यांत्रिक कार्य हेतु आवश्यक सामग्री, मॉडल निर्माण सामग्री, हस्तकला सामग्री, सुरक्षा उपकरण, शिक्षण-सहायक सामग्री तथा अन्य गतिविधि-आधारित संसाधनों का क्रय किया जा सकेगा। विद्यार्थियों को पर्याप्त व्यावहारिक अवसर उपलब्ध कराने तथा वर्षभर गतिविधियों के नियमित संचालन हेतु इस मद में ₹18,800 का प्रावधान किया गया है।

5. कौशल बोध पुस्तिकाएँ एवं स्टेशनरी – ₹ 7,800:– कक्षा 6 से 8 के लिए कौशल बोध गतिविधि पुस्तिकाएँ एनसीईआरटी/पीएसएससीआईवीई द्वारा हिन्दी भाषा में विकसित की गई हैं। ये पुस्तिकाएँ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के उपयोग हेतु उपलब्ध हैं तथा संबंधित वेबसाइटों से डाउनलोड की जा सकती हैं। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल (RSTB), जयपुर द्वारा इन पुस्तिकाओं का मुद्रण कराए जाने के उपरान्त प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

इस मद का उपयोग गतिविधियों के अभिलेखीकरण, प्रोजेक्ट कार्य के दस्तावेजीकरण, कार्यपत्रकों, रिकॉर्ड संधारण, चार्ट निर्माण, ड्राइंग सामग्री तथा अन्य आवश्यक स्टेशनरी सामग्री की व्यवस्था हेतु किया जा सकेगा।

29/12/20

6. विविध / आकस्मिक व्यय – ₹ 1,510:- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान विद्यालय स्तर पर ऐसी आवश्यकताएँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में कार्यक्रम के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने हेतु इस मद का प्रावधान किया गया है। इस मद का उपयोग मुद्रण एवं फोटोकॉपी, सामग्री परिवहन, संचार व्यय, उपकरणों के रख-रखाव, स्थानीय स्तर पर आवश्यक लघु सामग्री की खरीद तथा अन्य अनुमन्य (Permissible) आकस्मिक व्ययों की पूर्ति हेतु किया जा सकेगा।

कौशल बोध में वर्णित तीनों श्रेणियों के कार्यों की परिभाषा:-

1. जीवित प्राणियों के साथ कार्य:

जैसे – सब्जियों का बाग लगाना, पशुओं की देखभाल करना।

2. यंत्रों एवं सामग्री के साथ कार्य:

जैसे – कागज, लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी आदि से वस्तुएँ बनाना, कैंची, हथौड़ा, पेचकस जैसे औजारों का प्रयोग।

3. मानवीय सेवाओं में कार्य:

जैसे – लोगों की जरूरतों को समझना और सेवा देना, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा, शिक्षा, सामुदायिक सेवा आदि।

प्रत्येक कक्षा में, विद्यार्थी पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान 'कार्य के प्रत्येक प्रकार' से एक-एक प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे। इन प्रोजेक्ट को किसी भी क्रम में अथवा एक साथ भी किया जा सकता है। विद्यार्थियों के समूह विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर एक साथ कार्य कर सकते हैं, यह समूह के आकार, चयन किये गए प्रोजेक्ट के प्रकार और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा।

व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत कौशल बोध हेतु **कुल 110 घंटे** का समय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रोजेक्ट को लगभग **30 घंटों** में पूरा किया जाना है। प्रोजेक्ट अवधि एवं समय सारिणी संस्था प्रधान अपनी सुविधानुसार तय कर सकते हैं।

गतिविधि का मुख्य उद्देश्य रचनात्मकता और कौशल का विकास है। गतिविधि अंतर्गत प्रायोगिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण (Hands on Training) पर अधिक जोर दिया जाए।

एनसीईआरटी द्वारा विकसित कौशल बोध पाठ्यक्रम के अनुसार मूल्यांकन एवं आकलन के लिए सुझावित वेटेज (भारांक) और अंक प्रणाली निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	मूल्यांकन का प्रकार	भार
1	लिखित मूल्यांकन	30%
2	मौखिक प्रेजेंटेशन	30%
3	पोर्टफोलियो	20%
4	गतिविधि संचालन के दौरान शिक्षक अवलोकन	20%

क्रियान्वयन संबंधी दायित्व :-

1. प्रधानाचार्य के कार्य:-

- विद्यालय समयसारणी में कौशल बोध हेतु स्थान देना।
- गतिविधि संचालन हेतु कक्षा 6-8 के एक नियमित शिक्षक को नामित करना।
- गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करना।
- आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रबंध करना।
- विद्यालय में समग्र शिक्षा और व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ावा देना।

2. नियमित शिक्षक के कार्य:-

- कौशल बोध गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट कार्यों का विद्यालय स्तर पर प्रभावी संचालन, मार्गदर्शन एवं निगरानी करना।
- विद्यार्थियों को उपलब्ध संसाधनों, उपकरणों एवं सामग्री का सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग करना सिखाना।
- कार्यों एवं गतिविधियों को चरणबद्ध रूप से संचालित करते हुए विद्यार्थियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करना।
- प्रोजेक्ट कार्यों एवं गतिविधियों को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन, स्थानीय परिवेश (Environment) एवं कार्य जगत से जोड़ना।
- सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए उपकरणों एवं सामग्री के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- विद्यार्थियों में समस्या समाधान, नवाचार, सहयोगात्मक कार्य एवं सहभागिता की भावना विकसित करना।
- आवश्यक उपकरणों, सामग्री एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समन्वय करना।
- अतिथि व्याख्यान, शैक्षिक भ्रमण एवं अन्य व्यावहारिक गतिविधियों के आयोजन एवं संचालन में सहयोग प्रदान करना।
- विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रोजेक्ट कार्यों एवं गतिविधियों का अभिलेखीकरण तथा आवश्यक रिकॉर्ड का संधारण करना।
- कार्यक्रम की प्रगति से संबंधित आवश्यक सूचनाएँ एवं प्रतिवेदन समय-समय पर जिला एवं राज्य स्तर पर प्रेषित करना।
- पाठ्यपुस्तक एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के कार्यों एवं गतिविधियों का मूल्यांकन सुनिश्चित करना।

(5) स्किल कनेक्ट सेशनस ('नो बैग शनिवार' – कक्षा 6 से 8 हेतु)

Skill Connect Sessions (NO Bag Saturdays)

प्रस्तावना:-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 विद्यालयी शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक, कौशल-आधारित, बहुविषयी तथा विद्यार्थी केन्द्रित बनाने पर विशेष बल देती है। नीति में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों, स्थानीय कौशलों एवं कार्यस्थलों से परिचित कराने के लिए 'बैगलेस डेज़' की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना तथा उनमें कार्य एवं श्रम के प्रति सम्मान विकसित करना है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE 2023) में भी मध्य स्तर पर कार्य-आधारित अधिगम, स्थानीय कला एवं संस्कृति, व्यावसायिक जागरूकता तथा अनुभवात्मक शिक्षण को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इसी क्रम में राज्य के 639 पीएम श्री विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु चयनित नो बैग शनिवारों पर स्किल कनेक्ट सेशनस आयोजित किए जाएंगे।

यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को स्थानीय कारीगरों, किसानों, शिल्पकारों, उद्यमियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पंचायत प्रतिनिधियों, बैंक अधिकारियों तथा अन्य समुदाय आधारित संसाधन व्यक्तियों से जोड़ते हुए विभिन्न कौशलों एवं व्यवसायों का व्यवहारिक परिचय प्रदान करेगा। साथ ही यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 8 में संचालित कौशल बोध गतिविधियों को वास्तविक जीवन अनुभवों से जोड़ते हुए विद्यार्थियों में जीवन कौशल, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, सहयोग तथा कार्य संस्कृति का विकास करेगा।

कार्यक्रम के उद्देश्य:-

1. विद्यार्थियों में विभिन्न व्यवसायों एवं कौशल क्षेत्रों के प्रति प्रारम्भिक जागरूकता विकसित करना।
2. कौशल बोध गतिविधियों को व्यवहारिक एवं अनुभवात्मक अधिगम से जोड़ना।
3. विद्यार्थियों में श्रम के प्रति सम्मान विकसित करना।
4. स्थानीय कला, संस्कृति, शिल्प एवं पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों के प्रति सराहना एवं सम्मान विकसित करना।
5. विद्यार्थियों में टीमवर्क, संचार, समस्या समाधान, रचनात्मकता एवं नेतृत्व जैसे जीवन कौशलों का विकास करना।
6. विद्यालय एवं समुदाय के मध्य सहयोगात्मक संबंधों को सुदृढ़ करना।
7. विद्यार्थियों को तनावमुक्त, आनंददायक एवं सहभागितापूर्ण अधिगम अवसर प्रदान करना।

कार्यक्रम की रूपरेखा:-

1. कार्यक्रम राज्य के 639 पीएम श्री विद्यालयों में संचालित किया जाएगा।
2. कार्यक्रम कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों हेतु होगा।
3. प्रत्येक विद्यालय द्वारा वर्ष में न्यूनतम 10 स्किल कनेक्ट सेशनस आयोजित किए जाएंगे।



4. गतिविधियों का आयोजन चयनित नो बैग शनिवारों को किया जाएगा।
5. प्रत्येक गतिविधि का संबंध कौशल बोध, स्थानीय कला एवं संस्कृति, व्यावसायिक जागरूकता तथा अनुभवात्मक अधिगम से होगा।

विद्यालय स्तर पर दायित्व:-

प्रधानाचार्य:- प्रधानाचार्य कार्यक्रम के संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु उत्तरदायी होंगे। प्रधानाचार्य निम्न कार्य सुनिश्चित करेंगे:-

- वार्षिक गतिविधि योजना तैयार करना।
- स्थानीय मानव संसाधन की पहचान करना।
- गतिविधियों हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना।
- विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखना।
- बजट का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना।
- दस्तावेजीकरण एवं प्रतिवेदन सुनिश्चित करना।
- समुदाय एवं विद्यालय के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- गतिविधियों की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा करना।

नामित शिक्षक:- प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 6 से 8 में अध्यापनरत शिक्षकों में से एक शिक्षक को स्किल कनेक्ट सेशन हेतु नोडल शिक्षक नामित किया जाएगा। यथासंभव विज्ञान अथवा गणित विषय के शिक्षक को नामित किया जाना वांछनीय होगा।

नामित शिक्षक निम्न कार्य करेंगे:-

- गतिविधियों का समन्वय एवं संचालन।
- विद्यार्थियों का पूर्व आमुखीकरण।
- संसाधन व्यक्तियों से संपर्क एवं समन्वय।
- गतिविधियों के दौरान विद्यार्थियों का मार्गदर्शन।
- कौशल बोध से गतिविधियों का एकीकरण।
- गतिविधि उपरांत चिंतन सत्र का संचालन।
- गतिविधि रिपोर्ट एवं दस्तावेजीकरण।

सामान्य दिशा-निर्देश:-

1. गतिविधियाँ पूर्णतः अनुभवात्मक एवं सहभागितापूर्ण होंगी।
2. विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अवलोकन, प्रदर्शन, अभ्यास एवं संवाद आधारित सीखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
3. स्थानीय संसाधन व्यक्तियों की सहभागिता को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. गतिविधियों में स्थानीय कला, संस्कृति एवं पारम्परिक ज्ञान का समावेशन किया जाएगा।
5. प्रत्येक गतिविधि के अंत में विद्यार्थियों के साथ चिंतन एवं अनुभव साझा सत्र आयोजित किया जाएगा।
6. कार्यक्रम के अंतर्गत किसी प्रकार की परीक्षा अथवा ग्रेडिंग नहीं की जाएगी।

LD
AS

7. गतिविधियों का संचालन सुरक्षित, समावेशी एवं बाल-अनुकूल वातावरण में किया जाएगा।

वार्षिक स्किल कनेक्ट सेशनस गतिविधि कैलेंडर

वार्षिक स्किल कनेक्ट सेशनस गतिविधि कैलेंडर					
क्र.	गतिविधि	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	संसाधन व्यक्ति
1	कृषि क्षेत्र भ्रमण	कृषि गतिविधियों का अवलोकन	मृदा परीक्षण प्रदर्शन	फसल नियोजन एवं नर्सरी विकास	प्रगतिशील किसान / कृषि पर्यवेक्षक
2	विद्यालय नर्सरी एवं पौधारोपण	पौधारोपण	नर्सरी प्रबंधन	पौधों की वृद्धि का रिकॉर्ड	विद्यालय स्टाफ
3	सिलाई एवं परिधान कौशल	हाथ से सिलाई	मापन एवं सिलाई अभ्यास	मशीन सिलाई प्रदर्शन	स्थानीय दर्जी
4	निर्माण कार्य परिचय	निर्माण सामग्री पहचान	निर्माण स्थल भ्रमण	सुरक्षा एवं कार्यप्रवाह	राजमिस्त्री / ठेकेदार
5	स्वास्थ्य एवं प्राथमिक उपचार	स्वच्छता जागरूकता	प्राथमिक उपचार	CPR एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया	ANM / ASHA
6	स्थानीय कला एवं शिल्प	कला परिचय	कलाकृति निर्माण	कला आधारित उद्यमिता	स्थानीय कलाकार
7	कुम्हार शिल्प	मिट्टी कार्य परिचय	मिट्टी उत्पाद निर्माण	उत्पादन एवं विपणन	कुम्हार
8	पंचायत एवं बैंकिंग	पंचायत परिचय	बैंक भ्रमण	डिजिटल भुगतान	पंचायत / बैंक अधिकारी
9	पर्यावरण एवं अपशिष्ट प्रबंधन	स्वच्छता एवं पौधारोपण	अपशिष्ट प्रबंधन	पुनर्चक्रण एवं सतत विकास	नगरपालिका / NGO
10	स्किल प्रदर्शनी	प्रस्तुतीकरण	परियोजना प्रदर्शन	अनुभव साझा करना	विद्यालय स्टाफ

गतिविधिवार विस्तृत दिशा-निर्देश:-

- कृषि क्षेत्र भ्रमण:-** विद्यार्थियों को निकटवर्ती कृषि क्षेत्र में ले जाकर फसलों, कृषि उपकरणों, सिंचाई व्यवस्था एवं कृषि कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन कराया जाएगा। संसाधन व्यक्ति विद्यार्थियों को कृषि कार्यों की प्रक्रिया, आधुनिक तकनीकों तथा कृषि आधारित रोजगार अवसरों के बारे में जानकारी देंगे। विद्यार्थियों को किसानों से संवाद करने एवं प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- कौशल बोध से संबंध:-** कृषि आधारित व्यवसायों की समझ, श्रम का सम्मान एवं आजीविका जागरूकता।
- विद्यालय नर्सरी एवं पौधारोपण:-** विद्यार्थियों को पौधारोपण, पौधों की देखभाल, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी को पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
- कौशल बोध से संबंध:-** जिम्मेदारी, पर्यावरणीय चेतना एवं कार्य अनुशासन।

20/10

- **सिलाई एवं परिधान कौशल:**— स्थानीय दर्जी द्वारा कपड़ों की पहचान, मापन, कटिंग एवं सिलाई की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाएगा। विद्यार्थियों को सरल व्यवहारिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा।
कौशल बोध से संबंध:— हस्तकौशल, उद्यमिता एवं परिधान क्षेत्र की समझ।
- **निर्माण कार्य परिचय:**— विद्यार्थियों को निर्माण सामग्री, निर्माण प्रक्रिया, सुरक्षा उपकरणों एवं निर्माण कार्य में कार्यरत विभिन्न पेशेवरों की भूमिका से परिचित कराया जाएगा। **कौशल बोध से संबंध:**— निर्माण क्षेत्र के कौशल एवं सुरक्षा जागरूकता।
- **स्वास्थ्य एवं प्राथमिक उपचार:**— ANM, ASHA अथवा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा स्वच्छता, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित व्यवहारिक जानकारी प्रदान की जाएगी।
कौशल बोध से संबंध:— जीवन कौशल एवं स्वास्थ्य जागरूकता।
- **स्थानीय कला एवं शिल्प:**— विद्यालय स्थानीय कलाकारों को आमंत्रित कर मांडना, कठपुतली निर्माण, फड़ कला, लाख शिल्प, बंधेज, ब्लॉक प्रिंटिंग अथवा अन्य स्थानीय कला रूपों का प्रदर्शन करवाएगा। विद्यार्थियों को स्वयं भी सरल कलाकृतियाँ बनाने का अवसर दिया जाएगा।
कौशल बोध से संबंध:— सांस्कृतिक जागरूकता, रचनात्मकता एवं स्थानीय आजीविका की समझ।
- **कुम्हार शिल्प:**— स्थानीय कुम्हार विद्यार्थियों को मिट्टी तैयार करने, चाक संचालन तथा उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया का प्रदर्शन करेगा। विद्यार्थियों को मिट्टी से सरल वस्तुएँ बनाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
कौशल बोध से संबंध:— पारंपरिक कौशल एवं स्वरोजगार के अवसर।
- **पंचायत एवं बैंकिंग जागरूकता:**— विद्यार्थियों को पंचायत की भूमिका, स्थानीय शासन, बैंकिंग सेवाओं, बचत, डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय साक्षरता से परिचित कराया जाएगा। **कौशल बोध से संबंध:**— नागरिक दायित्व एवं वित्तीय साक्षरता।
- **पर्यावरण एवं अपशिष्ट प्रबंधन:**— विद्यार्थियों को अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण, स्वच्छता एवं सतत विकास की अवधारणाओं से परिचित कराया जाएगा। स्थानीय निकाय अथवा NGO की सहायता ली जा सकती है।
कौशल बोध से संबंध:— पर्यावरणीय दायित्व एवं सामाजिक जागरूकता।
- **स्किल प्रदर्शनी एवं अनुभव साझाकरण:**— वर्षभर आयोजित गतिविधियों से प्राप्त सीख, उत्पाद, परियोजनाएँ एवं अनुभव विद्यालय स्तर पर प्रदर्शित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को प्रस्तुतीकरण एवं अनुभव साझा करने का अवसर दिया जाएगा।
कौशल बोध से संबंध:— आत्मविश्वास, संचार कौशल एवं चिंतन क्षमता।

28/10

वित्तीय दिशा-निर्देश:-

प्रति विद्यालय ₹15,000 की राशि निम्नानुसार उपयोग की जाएगी:-

क्र.सं.	मद	राशि (₹)
1	संसाधन व्यक्तियों का मानदेय (Resource Persons)	4,000
2	क्षेत्र भ्रमण/स्थानीय यात्रा व्यवस्था (फील्ड विजिट)	7,000
3	कच्ची सामग्री एवं उपभोग्य सामग्री	2,000
4	दस्तावेजीकरण एवं प्रदर्शनी	2,000
	कुल	15,000

विद्यालयों द्वारा सभी व्ययों का उचित अभिलेखीकरण एवं बिल/वाउचर संधारित किया जाना आवश्यक होगा।

दस्तावेजीकरण एवं प्रतिवेदन -

प्रत्येक विद्यालय निम्न अभिलेख संधारित करेगा :-

- गतिविधिवार उपस्थिति।
- गतिविधि प्रतिवेदन।
- फोटो एवं वीडियो दस्तावेजीकरण।
- संसाधन व्यक्तियों का विवरण।
- विद्यार्थी गतिविधि पोर्टफोलियो।
- प्रदर्शनी विवरण।
- व्यय अभिलेख।

कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम एवं प्रगति की निगरानी (Monitoring) -

कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम -

स्किल कनेक्ट सेशन के प्रभावी संचालन से विद्यार्थियों में निम्नलिखित सकारात्मक परिवर्तन एवं अधिगम परिणाम अपेक्षित हैं :-

- विभिन्न व्यवसायों, कौशलों एवं आजीविका अवसरों के प्रति प्रारम्भिक समझ एवं जागरूकता का विकास।
- श्रम के प्रति सम्मान तथा प्रत्येक कार्य के महत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण।
- स्थानीय कला, संस्कृति, शिल्प एवं पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों के प्रति रुचि एवं सम्मान में वृद्धि।
- संचार, सहयोग, नेतृत्व, रचनात्मकता, समस्या समाधान एवं निर्णय क्षमता जैसे जीवन कौशलों का विकास।
- स्थानीय समुदाय, कारीगरों, किसानों एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों से सार्थक जुड़ाव स्थापित होना।

Handwritten signature/initials

- कौशल बोध गतिविधियों को वास्तविक जीवन अनुभवों एवं कार्यस्थलों से जोड़ने में सहायता प्राप्त होना।
- पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता तथा सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूकता में वृद्धि।
- विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, जिज्ञासा, सहभागिता एवं सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास।
- विद्यालय एवं समुदाय के मध्य सहयोग एवं सहभागिता को सुदृढ़ता प्राप्त होना।
- नो बैग शनिवार की अवधारणा के अनुरूप अनुभवात्मक, आनंददायक एवं तनावमुक्त अधिगम को बढ़ावा मिलना।

प्रगति की निगरानी:-

कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य द्वारा नियमित रूप से गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। नामित शिक्षक प्रत्येक गतिविधि की योजना, संचालन, छात्र सहभागिता एवं दस्तावेजीकरण का संधारण सुनिश्चित करेंगे।

जिला एवं राज्य स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति का अवलोकन समय-समय पर विद्यालय भ्रमण, गतिविधि प्रतिवेदनों, फोटो दस्तावेजीकरण एवं अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा। कार्यक्रम के संचालन के दौरान विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, स्थानीय संसाधन व्यक्तियों की भागीदारी, कौशल बोध से एकीकरण तथा स्थानीय कला एवं संस्कृति के समावेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विद्यालयों द्वारा प्रत्येक गतिविधि से संबंधित अभिलेख, फोटोग्राफ, उपस्थिति विवरण, गतिविधि प्रतिवेदन एवं व्यय विवरण का व्यवस्थित संधारण किया जाएगा, जिससे कार्यक्रम की उपलब्धियों एवं प्रभाव का आकलन किया जा सके।

29/12/20

(6) राज्य स्तरीय State Resource Group (SRG) प्रशिक्षण **(Organised by RSCERT, Udaipur)**

प्रस्तावना :-

व्यापक करियर शिक्षा मार्गदर्शन कार्यक्रम के गुणवत्तापूर्ण एवं एकरूप क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय SRG प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य राज्य एवं जिला स्तर पर ऐसे मास्टर ट्रेनर्स तैयार करना है जो करियर शिक्षा कार्यक्रम की अवधारणा, संसाधनों, प्रशिक्षण पद्धति एवं क्रियान्वयन प्रक्रियाओं की गहन समझ विकसित करते हुए जिला स्तर पर करियर शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन कर सकें।

प्रशिक्षण का आयोजन:-

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (RSCERT), उदयपुर एवं समग्र शिक्षा अभियान (SMSA) द्वारा किया जाएगा। राज्य के सभी 41 जिलों से चयनित 164 SRG सदस्यों को 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो तीन बैचों में आयोजित होगा, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय बैच में 55-55 तथा तृतीय बैच में 54 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को व्यापक करियर शिक्षा एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम की अवधारणा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों, राजस्थान करियर शैक्षणिक पंचांग, करियर शिक्षा संसाधनों ("सफर" कार्यपुस्तिका, करियर कार्ड, करियर की खोज पुस्तक, करियर पोस्टर आदि) के प्रभावी उपयोग, कक्षा आधारित करियर सत्र संचालन, विद्यार्थी सहभागिता तकनीकों, करियर परामर्श, करियर पाथवे, प्रशिक्षण संचालन कौशल, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं तथा जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण (Cascade Training Model) से संबंधित दक्षताओं का विकास कराया जाएगा।

SRG प्रशिक्षण का उद्देश्य जिला स्तर पर प्रशिक्षकों की एक सक्षम टीम तैयार करना है, जो आगे करियर शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन करते हुए विद्यालयों में कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में शैक्षणिक सहयोग प्रदान कर सकें।

बजट प्रावधान -

इस गतिविधि हेतु PMSHri PAB वर्ष 2026-27 में 164 SRG सदस्यों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु राशि ₹1,000 प्रति प्रतिभागी, प्रति दिवस की दर से कुल ₹4.92 लाख का वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

LS
AS

(7) करियर शिक्षक प्रशिक्षण (Training of Career Teacher)

(Organised by DIET)

प्रस्तावना —

व्यापक करियर शिक्षा मार्गदर्शन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य के 559 पीएमश्री विद्यालयों से प्रत्येक विद्यालय के 02 शिक्षकों (एक शिक्षक कक्षा 9-10 हेतु एवं एक शिक्षक कक्षा 11-12 हेतु) को 'करियर शिक्षक' के रूप में नामित किया जाएगा। इन शिक्षकों का 3 दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण जिला स्तर पर DIET के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसका संचालन राज्य स्तर पर प्रशिक्षित SRG सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को 'सफर' कार्यपुस्तिका, करियर काइर्स, 'करियर की खोज' पुस्तक, करियर पोस्टर्स, करियर पोर्टल, राजस्थान करियर शैक्षणिक मार्गदर्शन पंचांग, वेबिनार, विशेषज्ञ संवाद, वन-टू-वन काउंसलिंग एवं अन्य करियर संसाधनों के प्रभावी उपयोग से परिचित कराया जाएगा। साथ ही गतिविधि-आधारित एवं विद्यार्थी-केन्द्रित शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से करियर शिक्षा सत्रों के संचालन का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण में आत्म-जागरूकता, करियर जागरूकता, करियर योजना, करियर पाथवे, शिक्षा एवं रोजगार अवसर (EEET), करियर अनुभव एवं कौशल निर्माण, करियर रेडिनेस, विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत संवाद (1:1 Conversation), कक्षा संचालन तकनीकें, विद्यार्थी सहभागिता रणनीतियाँ, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन से संबंधित विषयों को सम्मिलित किया जाएगा।

प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त करियर शिक्षक राजस्थान करियर शैक्षणिक पंचांग के अनुसार विद्यालयों में नियमित करियर सत्रों का संचालन करेंगे तथा 'सफर' कार्यपुस्तिका आधारित गतिविधियाँ, करियर जागरूकता गतिविधियाँ, करियर वेबिनार, विशेषज्ञ संवाद, अभिभावक सत्र, कार्यस्थल भ्रमण, करियर परामर्श एवं अन्य निर्धारित गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करेंगे।

करियर शिक्षकों को करियर मार्गदर्शन संबंधी समझ को और सुदृढ़ करने हेतु DIKSHA पोर्टल पर उपलब्ध "करियर मार्गदर्शक शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल" पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रशिक्षण उपरान्त नियमित वर्चुअल टच-पॉइंट्स, लर्निंग सर्कल्स एवं शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से प्रशिक्षित SRG एवं DIET द्वारा शिक्षकों को सतत मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु करियर शिक्षक विद्यालय स्तर पर करियर मार्गदर्शन सत्र पंजीकरण, विद्यार्थी सहभागिता अभिलेख, कार्यपुस्तिका उपयोग

29/12

अभिलेख, वेबिनार सहभागिता अभिलेख, चिंतन एवं पोर्टफोलियो अभिलेख, फोटो एवं वीडियो साक्ष्य तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन का नियमित संधारण करेंगे तथा निर्धारित प्रारूप एवं गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेंगे।

बजट प्रावधान –

इस गतिविधि हेतु PMShri PAB वर्ष 2026-27 में 1108 करियर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु राशि ₹793 प्रति शिक्षक, प्रति दिवस की दर से कुल ₹26.352 लाख का वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

ds
AD

(8) करियर शिक्षा कार्यक्रम किट (Career Education Program Kit)

प्रस्तावना –

व्यापक करियर शिक्षा मार्गदर्शन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए विकसित करियर शिक्षा संसाधनों का राज्य स्तर पर मुद्रण एवं वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों हेतु 'सफर' कार्यपुस्तिका, करियर कार्ड्स, 'करियर की खोज' पुस्तक एवं करियर पोस्टर उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिक्षकों हेतु राजस्थान करियर शैक्षणिक मार्गदर्शन पंचांग, सत्र संचालन दिशा-निर्देश तथा अन्य आवश्यक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

सामग्री का अंतिम अनुमोदन RSCERT, Udaipur द्वारा किया जाएगा तथा मुद्रण एवं वितरण की व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान (SMSA) द्वारा की जाएगी। सामग्री जिला एवं ब्लॉक स्तर के माध्यम से पीएमश्री विद्यालयों तक पहुँचाई जाएगी, जिससे सभी विद्यालयों में करियर शिक्षा गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध हो सकें।

उद्देश्य –

इस गतिविधि का उद्देश्य सभी विद्यालयों में करियर शिक्षा कार्यक्रम के लिए एक समान, गुणवत्तापूर्ण एवं मानकीकृत संसाधन उपलब्ध करवाना तथा विद्यार्थियों को संरचित (Transmitted) एवं गतिविधि आधारित करियर शिक्षा अनुभव प्रदान करना है।

विद्यार्थियों हेतु सामग्री –

1. 'सफर' कार्यपुस्तिका (कक्षावार प्रत्येक विद्यार्थी हेतु)।
2. 'करियर की खोज' पुस्तक – 4 (प्रत्येक कक्षा हेतु -1)।
3. 100 करियर कार्ड।
4. 4 करियर मार्गदर्शक पोस्टर।

शिक्षकों हेतु सामग्री –

- करियर सत्रों के प्रभावी संचालन हेतु राजस्थान करियर शैक्षणिक मार्गदर्शन पंचांग में उपलब्ध मार्गदर्शक वीडियो का उपयोग किया जाए।
- सत्र पूर्ण होने के उपरांत प्रत्येक माह के चौथे शनिवार तक निर्धारित प्रारूप/गूगल फॉर्म के माध्यम से रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए।

उक्त सामग्री का उपयोग करियर शिक्षक द्वारा करियर मार्गदर्शन सत्रों के प्रभावी संचालन हेतु विद्यालय स्तर पर किया जाएगा।

बजट प्रावधान –

इस गतिविधि हेतु PMSHri PAB वर्ष 2026-27 में 559 विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय ₹14,000 की दर से कुल ₹78.26 लाख का वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

Handwritten signature/initials

(9) रॉ मटेरियल ग्रांट (Raw Material Grant)

LTA-Long Term Activity

टाईमलाईन – विद्यालय स्तर पर प्रति माह आवश्यकतानुसार।

क्रियान्वयन –

1. उक्त राशि का उपयोग संबंधित व्यावसायिक ट्रेड/सेक्टर के प्रशिक्षण में उपयोग में आने वाली कच्ची सामग्री, अस्थायी सामग्री, ई-लर्निंग सामग्री, पाठ्य पुस्तक, संन्दर्भ सामग्री क्रय करने में तथा संबंधित ट्रेड के उपकरणों औजारों के रख रखाव, त्रुटि सुधार, अपग्रेड करने में किया जा सकेगा।
2. कच्ची सामग्री के क्रय हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षक, स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर व कौशल मित्र से आवश्यक सामग्री की सूची व मापदण्ड प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर सामग्री क्रय की जानी है।
3. सामग्री का क्रय तथा भुगतान विद्यालय स्तर पर किया जावेगा तथा विद्यालय से व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से जिला कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा तथा जिला कार्यालय द्वारा प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्टि की जानी है।
4. उपरोक्त व्यय के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का विद्यालय एसडीएमसी से अनुमोदन करावे।
5. उक्त राशि का उपयोग प्रति माह करते हुए 31 मार्च, 2027 तक किया जाना है।
6. जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जाये।
7. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देश, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम 2013 की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

बजट प्रावधान –

रॉ मटेरियल हेतु सत्र 2026-27 में नवीन (New) अनुमोदित 10 पीएमश्री विद्यालयों के अन्तर्गत क्रमशः पूर्व संचालित 05 विद्यालयों हेतु राशि रु. 1,08,600/- (₹7.602/7) प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर एवं नवीन अनुमोदित 05 विद्यालयों हेतु राशि 62500/- रुपये प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर का बजट प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त गत सत्रों के पूर्व संचालित (Existing) 549 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि रु. 1,08,593/- (₹889.38/819) प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग विद्यालय स्तर पर किया जाना है।



(10) Office Expenses/Contingencies

LTA-Long Term Activity

टाईमलाईन — विद्यालय स्तर पर प्रति माह आवश्यकतानुसार।

क्रियान्वयन —

1. उक्त राशि का उपयोग निम्न गतिविधि/सामग्री में किया जा सकता है:-
 - a) विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा योजना के संबंध में आयोजित होने वाली बैठकों के आयोजन पर होने वाला व्यय जैसे कि फोटो, बैनर, चाय, अल्पाहार इत्यादि।
 - b) व्यावसायिक शिक्षा विषय से संबंधित कोई रैली व प्रचार-प्रसार।
 - c) व्यावसायिक शिक्षा योजना में नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावकों के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के सम्बन्ध में बैठकों के आयोजन पर होने वाला व्यय।
 - d) व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में विद्यालय के संस्था प्रधान/कौशल मित्र द्वारा फील्ड विजिट पर हाने वाला व्यय।
 - e) व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी, कार्यालय व्यय, आदि पर होने वाला व्यय।
 - f) व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित टेलीफोन व इन्टरनेट व्यय।
 - g) विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले स्किल एग्जीबिशन कम कम्पीटिशन पर होने वाला व्यय।
 - h) परीक्षा सम्बन्धी कन्टेन्ट पर व्यय।
 - i) व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धित गतिविधियों में आवश्यकतानुसार होने वाला व्यय।
2. उपरोक्त करवाये गये कार्यों का अनुमोदन संबंधित विद्यालय की एसडीएमसी द्वारा किया जाना है।
3. जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जाये।
4. उक्त राशि का उपयोग प्रति माह करते हुए 31 मार्च, 2027 तक किया जाना है। व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा तथा जिला कार्यालय द्वारा प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्टि की जानी है।
5. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देश, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम, 2013 की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

बजट प्रावधान — इस मद में सेक्टरवार नवीन (New) अनुमोदित 10 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि रु. 74,000/- (₹8.88/12) प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर तथा पूर्व संचालित (Existing) 549 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि रु. 91,165/- (₹746.64/819) प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर का बजट प्रावधान किया गया है। यह राशि विद्यालयों द्वारा व्यय की जानी है।

अध्याय-5

जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय व विद्यालय स्तर के कार्य एवं दायित्व

(A) जिला कार्यालय

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी (CDEO/ADPC/APC/PO) के प्रमुख कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार हैं:-

a) योजना-

व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु योजना का निर्माण तथा अधिनस्थ कार्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश व सहायता प्रदान करना।

b) क्रियान्वयन -

- **नीति क्रियान्वयन और अनुपालन:-** व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत परिषद् से जारी योजना संचालन व गतिविधियों के आयोजन के दिशा-निर्देश की व्यावसायिक प्रशिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, विद्यालय एवं ब्लॉक से पालना करवाना।
- **संसाधन आवंटन और प्रबंधन:-** जिला कार्यालयों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों हेतु परिषद् कार्यालय से जारी राशि को ब्लॉक/विद्यालय तक निर्धारित समय पर प्रावधानानुसार हस्तान्तरित किया जाना।
- **व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना :-** विद्यालयों में राज्य कार्यालय द्वारा जारी मापदण्ड (Specifications) के अनुसार व्यावसायिक लैब की स्थापना किया जाना। जिला कार्यालय सुनिश्चित करेंगे कि लैब आवश्यक टूल व उपकरणों से सुसज्जित हो।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षक ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण:-** जिला कार्यालय नवीन नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षकों को आवंटित विद्यालयों में नियोजन से पूर्व उनके मूल दस्तावेजों से मिलान कर सत्यापन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक-6 में उल्लेखित आवश्यक योग्यता और अनुभव मानदण्डों को पूरा करते हो। जिले में नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षकों के दस्तावेजों की छायाप्रति सहित समस्त रिकॉर्ड संधारित करेंगे।

- ##### c) पुनर्भरण एवं भुगतान प्रबन्धन:-
- जिला कार्यालय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक प्रशिक्षक व स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर के मानदेय भुगतान की पुनर्भरण पत्रावलियों का भुगतान करने की समयबद्ध कार्यवाही सम्पादित करेंगे। मानदेय पुनर्भरण भुगतान प्रक्रिया हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रस्तुत

✓ AD

पत्रावली और समस्त दस्तावेजों यथा – व्यावसायिक प्रशिक्षक/स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर उपस्थिति रिकॉर्ड, एनईएफटी और बैंक हस्तान्तरण विवरण, व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि रिपोर्ट आदि का सत्यापन कर भुगतान किया जाना है।

d) मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग:-

- **कार्यक्रम की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन:** व्यावसायिक शिक्षा योजना की मॉनिटरिंग करने हेतु विद्यालय स्तर पर कक्षा की गतिविधियों का निरीक्षण करने, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन का आकलन करने और शिक्षण मानकों का पालन हेतु नियमित विद्यालय निरीक्षण करेंगे। विद्यार्थी कार्य प्रगति तथा फीडबैक का विश्लेषण कर व्यावसायिक शिक्षा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर आवश्यक सुधार करेंगे।
- **जिला स्तरीय बैठक :-** व्यावसायिक शिक्षा योजना के संचालन व प्रगति के सम्बन्ध में माह में एक बार संस्था प्रधान व स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर के साथ बैठक आयोजित कर योजना के सुचारु एवं प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
- **डाटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग:** जिला कार्यालय व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी नामांकन, मूल्यांकन, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट आदि समस्त रिकार्ड संधारित करेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रबंध पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त प्रविष्टि नियमित रूप से अद्यतन करवाने के लिये उत्तरदायी होंगे।
- **संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय :-** जिला कार्यालय विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, उद्योग विशेषज्ञ, समुदाय के सदस्य और राज्य स्तरीय अधिकारियों सहित विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहकर व्यावसायिक शिक्षा योजना को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

Handwritten signature/initials

(B) मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) कार्यालय

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) कार्यालय के प्रमुख कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार हैं:-

a) योजना-

व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु योजना का निर्माण तथा अधिनस्थ विद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश व सहायता प्रदान करना।

b) क्रियान्वयन -

- **नीति क्रियान्वयन और अनुपालन:-** व्यावसायिक शिक्षा योजना अन्तर्गत परिषद् व जिला कार्यालय द्वारा जारी योजना संचालन व गतिविधियों के आयोजन के दिशा-निर्देश की विद्यालय से पालना करवाना।
- **संसाधन आवंटन और प्रबंधन:-** व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों हेतु जिला कार्यालयों द्वारा जारी राशि को विद्यालय तक निर्धारित समय पर प्रावधानानुसार हस्तान्तरित किया जाना।
- **व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना :-** विद्यालयों में राज्य कार्यालय द्वारा जारी मापदण्ड (Specifications) के अनुसार व्यावसायिक लैब की स्थापना व सुचारु संचालन सुनिश्चित करना।

c) मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग:-

- **कार्यक्रम की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन:** व्यावसायिक शिक्षा योजना की मॉनिटरिंग करने हेतु विद्यालय स्तर पर कक्षा की गतिविधियों का निरीक्षण करने, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन का आकलन करने और शिक्षण मानकों के पालन हेतु सतत् रूप से विद्यालय निरीक्षण करेंगे। विद्यार्थी कार्य प्रगति तथा फीडबैक का विश्लेषण कर व्यावसायिक शिक्षा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर आवश्यक सुधार करेंगे।
- **ब्लॉक स्तरीय बैठक :-** व्यावसायिक शिक्षा योजना के संचालन व प्रगति के सम्बन्ध में संस्था प्रधान व स्कूल नॉलेज फेसिलिटेटर के साथ बैठक आयोजित कर योजना के सुचारु एवं प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
- **डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग:** व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी नामांकन, मूल्यांकन, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट आदि समस्त रिकार्ड संधारित कर शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त प्रविष्टि नियमित रूप से अद्यतन करवायी जानी है।



(C) संस्था प्रधान के कार्य एवं दायित्व

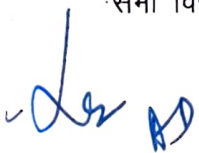
व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय के संस्था प्रधान के प्रमुख कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार हैं:-

- a) **योजना और क्रियान्वयन:** विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा योजना के क्रियान्वयन के लिए संस्था प्रधान उत्तरदायी होंगे तथा इस हेतु योजना के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षकों, स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर, जिला व ब्लॉक कार्यालय सहित समस्त हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।
- b) **अध्ययन योजना निर्माण:** संस्था प्रधान व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन योजना निर्माण में व्यावसायिक प्रशिक्षक और स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर को आवश्यक दिशा-निर्देश व सहायता प्रदान करेंगे।
- c) **कौशल मित्र नामित करना :** विद्यालय का संस्था प्रधान विशेष आदेश के माध्यम से विद्यालय के एक वरिष्ठ राजकीय शिक्षक (यथा संभव-द्वितीय श्रेणी अध्यापक) को कौशल मित्र के रूप में नामित करेंगे। नामित कौशल मित्र की सूचना जिला व राज्य कार्यालय को दी जायेगी तथा परिवर्तन की स्थिति में नवीन नामित कौशल मित्र की सूचना जिला और राज्य कार्यालय को प्रेषित की जाये।
- d) **व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थिति:-** विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की दैनिक उपस्थिति करवाये जाने हेतु अलग से रजिस्टर संधारित कर सेक्टरवाईज उपस्थिति करवाना, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षक का नाम नहीं लिखकर केवल सेक्टर का नाम व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का ही उल्लेख करना है। संस्था प्रधान द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों की उपस्थिति निर्धारित प्रारूप में उपस्थित रहने पर "P", अवकाश पर रहने पर नियमानुसार "L", अनुपस्थित रहने पर "A" तथा विभिन्न राजकीय/स्थानीय घोषित अवकाश होने पर "H" अंकित किया जाना तथा **प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर किये जाये।**
- e) **व्यावसायिक प्रशिक्षक अवकाश:-** व्यावसायिक प्रशिक्षकों को एक माह में एक आकस्मिक अवकाश देय होगा अर्थात् वर्ष भर में प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षक को कुल 12 अवकाश देय है, जिसका समस्त रिकार्ड संस्था प्रधान द्वारा संधारित किया जावेगा।
- f) **संसाधन आवंटन और प्रयोगशाला स्थापना:** व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित किये जाने हेतु बजट और सामग्री सहित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए संस्था प्रधान उत्तरदायी होंगे। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि व्यावसायिक प्रयोगशाला निर्धारित मानकों अनुसार के स्थापित की जाये तथा

19/12/20

प्रयोगशाला हेतु आवश्यक कच्ची सामग्री का क्रय कौशल मित्र और व्यावसायिक प्रशिक्षक से परामर्श से किया जाये।

- g) **समय-सारिणी निर्धारण:** संस्था प्रधान द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत जारी स्कीम ऑफ स्टडीज के अनुसार विद्यालय की समय सारिणी का निर्माण किया जाये। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए आवंटित अवधि (9वीं व 10वीं के लिए 200-200 घंटे, 11वीं व 12वीं के लिए 300-300 घंटे) के निर्धारण हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षक और कौशल मित्र की सहायता से संतुलित समय सारिणी बनायेगें। व्यावसायिक पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण करने हेतु विद्यालय समय के अतिरिक्त समय में तथा नो बैग डे में कालांश आवंटित कर अध्ययन करवाया जाये।
- h) **विद्यार्थी परामर्श और जागरूकता:** संस्था प्रधान व्यावसायिक शिक्षा योजना की महत्व उपयोगिता व कैरियर के अवसर के बारे में विद्यार्थियों व अभिभावकों को जागरूक करने हेतु सत्र और कार्यक्रम आयोजित करने में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का सहयोग करेंगे।
- i) **व्यावसायिक प्रशिक्षक ऑनबोर्डिंग:** नवीन नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षकों को जिला कार्यालय द्वारा सत्यापित रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय में कार्यग्रहण करवाया जाये। कार्यग्रहण से पूर्व यह भी सुनिश्चित करें कि व्यावसायिक प्रशिक्षक आवश्यक योग्यता और अनुभव मानदंडों को पूरा करते हैं। संस्था प्रधान व्यावसायिक प्रशिक्षक नियोजन सम्बन्धी रिकॉर्ड का संधारण करे तथा नियोजन रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित करें।
- j) **गुणवत्ता और मॉनिटरिंग :** संस्था प्रधान शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की नियमित निगरानी करके व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। संस्था प्रधान समय-समय पर शिक्षण कार्य का मूल्यांकन कर सुधार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षकों को फीडबैक प्रदान करेंगे। संस्था प्रधान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम हेतु दिशा-निर्देशों के अनुरूप शिक्षण कार्य, विद्यार्थियों का नामांकन, मूल्यांकन, गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट इत्यादि समस्त गतिविधियों का रिकॉर्ड नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है।
- k) **व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों का मूल्यांकन:** कौशल मित्र और व्यावसायिक प्रशिक्षक के साथ संस्था प्रधान व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों का वार्षिक मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होंगे। संस्था प्रधान द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों से बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरवाकर व्यावसायिक प्रशिक्षकों एवं विद्यार्थियों



को परीक्षा की समय-सारणी (शेड्यूल) उपलब्ध करवाया जायेगा। विद्यार्थी के परीक्षा फार्म में कोई त्रुटि होने की स्थिति में उचित समयावधि में त्रुटियों में सुधार के लिये संस्था प्रधान उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त बाह्य मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी प्रपत्रों व दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रिकॉर्ड संधारण हेतु एक प्रति विद्यालय में संधारित करेंगे।

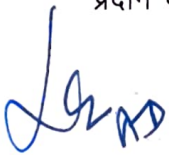
- l) **रिपोर्टिंग और अनुपालना** :- संस्था प्रधान द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षक, कौशल मित्र की सहायता से व्यावसायिक शिक्षा योजना से संबंधित रिपोर्ट जिला व राज्य कार्यालय को समय पर प्रस्तुत की जाये। संस्था प्रधान शाला दर्पण पोर्टल पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों की दैनिक उपस्थिति, नामांकन सहित व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित समस्त प्रविष्टि नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। संस्था प्रधान व्यावसायिक प्रशिक्षक की मासिक उपस्थिति एवं स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर की विजिट रिपोर्ट को सत्यापित कर जिला कार्यालय और संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को प्रेषित करेंगे।
- m) **समग्र मूल्यांकन**: संस्था प्रधान व्यावसायिक शिक्षा योजना के वार्षिक मूल्यांकन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षकों और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। संस्था प्रधान विद्यालय में व्यावसायिक योजना की प्रभावशीलता का विश्लेषण कर व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं विद्यार्थियों हेतु रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि करने के लिए वांछित सुधार करेंगे।
- n) संस्था-प्रधान द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों के शिक्षण कार्य का अवलोकन, उनके द्वारा संधारित की गई दैनिक डायरी, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो, प्रशिक्षण की साप्ताहिक एवं मासिक योजना साथ ही उनकी मासिक उपस्थिति का प्रमाणीकरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से किया जायेगा।
- o) संस्था-प्रधान द्वारा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षा विषय के शिक्षण हेतु अलग से उपस्थिति रजिस्टर संधारित कर प्रमाणीकरण किया जायेगा तथा व्यावसायिक शिक्षा योजना के सम्बंध में आगन्तुकों द्वारा दी जाने वाली टिप्पणी हेतु विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा विजिटर रजिस्टर का संधारण किया जाना है।

29/12

(D) कौशल मित्र के कार्य एवं दायित्व

व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय में नामित 'कौशल मित्र' के प्रमुख कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार हैं:-

- **उद्देश्य :-** विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रभावी संचालन, मॉनिटरिंग तथा योजना से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक वरिष्ठ शिक्षक **कौशल मित्र** के रूप में कार्य सम्पादित करेगा।
- **कौशल मित्र चयन :-** विद्यालय का संस्था प्रधान विशेष आदेश के माध्यम से विद्यालय के एक वरिष्ठ राजकीय शिक्षक (यथा संभव-द्वितीय श्रेणी अध्यापक) को कौशल मित्र के रूप में नामित करेंगे। नामित कौशल मित्र की सूचना जिला व राज्य कार्यालय को दी जायेगी तथा परिवर्तन की स्थिति में नवीन नामित कौशल मित्र की सूचना जिला और राज्य कार्यालय को प्रेषित की जाये।
- **कार्य एवं दायित्व :-**
 - a) **अध्ययन योजना निर्माण में सहायता** - कौशल मित्र, वार्षिक व मासिक अध्ययन योजना, व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों की समय-सारणी और पाठ योजना निर्माण में संस्था प्रधान, व्यावसायिक प्रशिक्षक और स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
 - b) **प्रयोगशाला स्थापना** - कौशल मित्र, व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशाला स्थापना हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षक और संस्था प्रधान को सहायता प्रदान करेगा।
 - c) **प्रयोगशाला सामग्री का क्रय और रखरखाव :-** कौशल मित्र, व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से प्रयोगशाला हेतु आवश्यक कच्ची सामग्री का आकलन कर क्रय हेतु अनुमोदन के लिए संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा।
 - d) **मूल्यांकन :** कौशल मित्र, मासिक, अर्द्ध-वार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन में व्यावसायिक प्रशिक्षक, स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर और संस्था प्रधान को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।



- e) **स्किल एग्जीबिशन** – कौशल मित्र विद्यालय में स्किल एग्जीबिशन गतिविधि के आयोजन में सहयोग प्रदान करेगा। विद्यालय स्तर की स्किल एग्जीबिशन गतिविधि के आयोजन में सहयोग तथा जिला/राज्य स्तरीय प्रतिभागी विद्यार्थियों के साथ आने-जाने का दायित्व कौशल मित्र का होगा।
- f) **बेस्ट प्रेक्टिस की पहचान**: कौशल मित्र, स्किल नॉलेज फॅसिलिटेटर व व्यावसायिक प्रशिक्षक की मदद से विद्यालय की व्यावसायिक शिक्षा की बेस्ट प्रेक्टिस की पहचान कर संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाते हुये ब्लॉक/जिला कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- g) **रिकॉर्ड संधारण व रिपोर्टिंग** – कौशल मित्र, व्यावसायिक प्रशिक्षक और स्किल नॉलेज फॅसिलिटेटर द्वारा प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेगा तथा विद्यालय स्तर पर नियमित रिकार्ड संधारण की मॉनिटरिंग का दायित्व कौशल मित्र का होगा।
- h) कौशल मित्र विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा करवाये जा रहे शिक्षण कार्य का दैनिक अवलोकन करना व सप्ताह में एक बार अवलोकन रिपोर्ट तैयार कर प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करना करेगा।
- i) विद्यालय में प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक प्रशिक्षक एवं स्किल नॉलेज फॅसिलिटेटर की उपस्थिति, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों की रिपोर्ट एवं वाउचर्स प्रमाणीकरण का कार्य कौशल मित्र द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

20/12/20

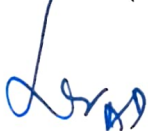
अध्याय-6

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, व्यावसायिक प्रशिक्षक एवं स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) के कार्य एवं दायित्व

(A) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के प्रमुख कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार हैं:-

1. **व्यावसायिक प्रशिक्षक नियोजन :-** राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा निविदा प्रक्रिया से चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के साथ अनुबन्ध (एमओयू) किया जायेगा। अनुबन्ध पश्चात कार्यादेश के आधार पर चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का नियोजन किया जायेगा। विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व व्यावसायिक प्रशिक्षक एवं सम्बन्धित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का होगा।
2. **प्रशिक्षण प्रदान करना:-**
 - a) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश तथा NCERT/PSSCIVE/RCScE द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यालयों में कुशल एवं प्रभावी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पूर्व योजना, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग सम्बन्धित उत्तरदायित्व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का होगा।
 - b) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा विद्यालय स्तर से व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर डाटा एकत्र कर उसकी समेकित रिपोर्ट संधारित कर जिला/राज्य कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।
 - c) विद्यार्थियों और अभिभावकों से वार्तालाप एवं परामर्श कर व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता प्रदान करना।
3. **गेस्ट लेक्चर आयोजन:** व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता शैक्षणिक योजना के अनुसार आवश्यक विषय-वस्तु का चयन कर गेस्ट लेक्चर का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
4. **औद्योगिक भ्रमण और ऑन जॉब ट्रेनिंग/इंटरनशिप:-** औद्योगिक ईकाई/संस्थानों में विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण और ऑन जॉब ट्रेनिंग/इंटरनशिप की सुविधा प्रदान करना।
5. **मूल्यांकन:-** व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों के आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।



6. कैरियर काउंसलिंग, कैरियर मैपिंग, प्लेसमेंट और प्लेसमेंट प्राप्त विद्यार्थियों की ट्रेकिंग करना:—

- a) व्यावसायिक शिक्षा में नामांकित सभी विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग प्रदान किया जाना।
- b) विद्यार्थियों में कैरियर मैपिंग की समझ पैदा कर करियर चयन में सहायता प्रदान करना।
- c) उच्च शिक्षा, अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की पहचान किया जाना।
- d) विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए परामर्श सत्र आयोजित करना।
- e) सभी इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप का आयोजन करना।
- f) 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी इच्छुक विद्यार्थियों को प्लेसमेंट अवसर प्रदान किया जाना।
- g) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के बाद कम से कम एक वर्ष की अवधि तक ट्रेकिंग करेंगे।

7. मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग: व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सभी व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों के आयोजन की मॉनिटरिंग की जायेगी तथा उनका आवश्यक डाटा एकत्रित कर समेकित रिपोर्ट संधारित की जायेगी।

8. बेस्ट प्रैक्टिस:— व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक विद्यालय की बेस्ट प्रैक्टिस की रिपोर्ट दो बार जिला और राज्य कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी। वीटीपी को व्यावसायिक शिक्षा संचालन हेतु आंवटित विद्यालयों से Success Story/Best Practice को समेकित कर बुकलेट तैयार की जानी है। Success Story/Best Practice जिससे विद्यार्थियों के जीवन में हुये परिवर्तन को विभिन्न संवादों (विद्यालय/समाज/संस्था/एजेंसी/शिक्षक/अभिभावक) को सकारात्मक रूप से फिल्मांकन कर समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता पैन ड्राइव में राज्य कार्यालय को उपलब्ध करवायेगें।

9. व्यावसायिक प्रशिक्षकों का वार्षिक मूल्यांकन: गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों का निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा:—

29/10

क्र.सं.	वार्षिक मूल्यांकन मानदंड	अंक
1	व्यावसायिक प्रशिक्षक का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान	10
2	नवाचारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग।	10
3	व्यावसायिक शिक्षा विषय में शिक्षण, अधिगम सामग्री का विकास।	10
4	रोजगार हेतु पंजीकृत विद्यार्थियों (12वीं पास विद्यार्थी) की संख्या।	5
5	राज्य स्तरीय स्किल एग्जीबिशन कम कम्पीटिशन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या।	5
6	कक्षा 10वीं एवं 12वीं के व्यावसायिक विद्यार्थियों के परिणामों में सुधार।	5
7	विद्यार्थी नामांकन में सुधार और ड्रॉपआउट अनुपात को कम करना।	5
	योग	50

व्यावसायिक प्रशिक्षकों की उक्त वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अप्रैल माह में जिला कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।

AD

(B) व्यावसायिक प्रशिक्षक

व्यावसायिक प्रशिक्षक के प्रमुख कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार है:-

योजना निर्माण -

- 1 शिक्षण योजना :** व्यावसायिक प्रशिक्षक, व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों की विद्यालय वार्षिक योजना निर्माण में स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर की सहायता करेगा। वार्षिक योजना शैक्षणिक सत्र के प्रथम सप्ताह में तैयार की जायेगी।
- 2 पाठ योजना का निर्माण :** व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और समय सारिणी के अनुसार शैक्षणिक सत्र के प्रथम सप्ताह में मासिक व वार्षिक पाठ योजना तैयार की जायेगी।
- 3 प्रयोगशाला रखरखाव :** व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में प्रयोगशाला के संचालन हेतु आवश्यक कच्ची सामग्री (रॉ मेटेरियल) का आंकलन संधारित कर रिपोर्ट संस्था-प्रधान को प्रस्तुत की जायेगी।

क्रियान्वयन -

- 1. विद्यार्थियों और अभिभावकों में जागरूकता :-** कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा से पहले व्यावसायिक प्रशिक्षक व्यावसायिक शिक्षा के परिचय और महत्व के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यालय में काउंसलिंग करेंगे तथा प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यार्थियों को परामर्श भी प्रदान करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यालय में प्रवेशोत्सव के दौरान एक व्यावसायिक शिक्षा कॉर्नर तैयार किया जायेगा, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा, इसके महत्व, सेक्टर, जॉब रोल, गतिविधियों, रोजगार के अवसरों इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदर्शित होगी। व्यावसायिक प्रशिक्षक पीटीएम और एसडीएमसी बैठकों के दौरान अभिभावकों से संवाद करेंगे।
- 2. सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण:-** व्यावसायिक प्रशिक्षक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अनुरूप समय सारिणी के अनुसार व्यापक प्रायोगिक और सैद्धान्तिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अवधारणाओं की गहन समझ और अनुप्रयोग सुनिश्चित करने हेतु शिक्षण सहायक सामग्री और आईसीटी उपकरणों का प्रभावी उपयोग किया जायेगा। कक्षा 9वीं व 10वीं में व्यावसायिक शिक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम को 200 घण्टे में तथा कक्षा 11वीं व 12वीं हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम को 300 घण्टे में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करेगा और इस हेतु अतिरिक्त कालाश भी लिये

29/10

जाने हेतु बाध्य होगा। यह अतिरिक्त कांलाश 'नो बेग डे' व सामान्य दिवसों में भी लिये जा सकेंगे।

3. **दैनिक डायरी और विद्यार्थी पोर्टफोलियो:** व्यावसायिक प्रशिक्षक प्रतिदिन दिए जाने वाले प्रशिक्षण के विवरण हेतु दैनिक डायरी तथा विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो संधारित करेगा।
4. **विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पहचान :** व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचि और प्राथमिकता को पहचान कर उनके सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने के लिए तदनुसार शिक्षण विधियों और रणनीतियों का प्रयोग किया जायेगा।
5. **विद्यार्थियों के कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन :** व्यावसायिक प्रशिक्षक नियमित रूप से विद्यार्थियों का मासिक परीक्षण, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यार्थियों के वार्षिक मूल्यांकन (बाह्य और आंतरिक दोनों) के दौरान बोर्ड फॉर्म भरने, उपस्थित विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को संधारित करने आदि कार्यों में सहायता प्रदान करेगा तथा विद्यालय रिकॉर्ड के लिए दस्तावेजों की एक प्रति संधारित रखेगा।
6. **प्रयोगशाला स्थापना:** व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यालय में संस्था-प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाये गये उपकरणों/सामग्री के साथ व्यावसायिक प्रयोगशाला स्थापित कर सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा कौशल मित्र और स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर की सहायता से प्रयोगशाला लेआउट (डिजाइन) निर्धारित किया जायेगा।
7. **गेस्ट लेक्चर और औद्योगिक भ्रमण:-** व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर और संस्था-प्रधान की सहायता से गेस्ट लेक्चर की विषय-वस्तु का निर्धारण कर निर्धारित समय पर आयोजन कराना सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण से सम्बन्धित समस्त जानकारी प्रदान करते हुए आयोजन करवायेगा।
8. **ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी)/इंटर्नशिप आयोजन:** व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यार्थियों को ओजेटी/इंटर्नशिप की समस्त जानकारी प्रदान कर ट्रेनिंग के दौरान मॉनिटरिंग करेंगे। औद्योगिक ईकाई/संस्थान के साथ नियमित सम्पर्क कर विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर फीडबैक लेगा तथा विद्यार्थियों को इंटर्नशिप लॉग बुक तैयार करने व रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।

9. व्यावसायिक प्रशिक्षक को एक वर्ष में कुल 12 अवकाश देय हैं, अर्थात् एक अवकाश प्रतिमाह दिया जा सकता है। यदि किसी कारणवश चालू माह में अवकाश नहीं लिया हो तो आने वाले महीनों में बकाया अवकाश का अलग से उल्लेख करें।
10. यदि व्यावसायिक प्रशिक्षक सार्वजनिक अवकाश के पूर्व बिना स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो कार्य पर वापस आने तक अनुपस्थित माना जावेगा। यदि सार्वजनिक अवकाश से पूर्व उपस्थित रहता है तथा सार्वजनिक अवकाश के पश्चात् अनुपस्थित रह जाता है व पूर्व में अवकाश हेतु स्वीकृति ली गई है तो उक्त सार्वजनिक अवकाश का भुगतान देय होगा, पूर्व में अवकाश की स्वीकृति नहीं लेने की स्थिति में इस प्रकार के अवकाश का भुगतान नहीं किया जावेगा।

मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग –

व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यार्थी नामांकन, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन, गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण, इन्टर्नशिप और जॉब प्लेसमेंट सहित समस्त रिकार्ड संधारित करेगा तथा संस्था-प्रधान व कौशल मित्र की सहायता से इनकी शाला दर्पण पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि सुनिश्चित करेगा।



(C) स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर

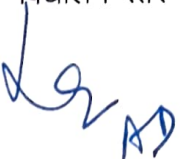
स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर के प्रमुख कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार है:-

1. व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों की योजना -

- शिक्षण योजना:-** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर विद्यालय के संस्था-प्रधान, व्यावसायिक प्रशिक्षक और कौशल मित्र के समन्वय से व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों का पाठ्यक्रम के अनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण के मासिक व वार्षिक शिक्षण योजना का निर्माण करेगा। वार्षिक पाठ योजना निर्माण में व्यावसायिक प्रशिक्षक और कौशल मित्र की सहायता करेगा।
- मूल्यांकन योजना-** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में मासिक और अर्द्ध-वार्षिक मूल्यांकन स्वरूप तथा शेड्यूल बनाने में संस्था-प्रधान एवं कौशल मित्र को सहयोग करेगा।
- उद्योग संपर्क (लिंकेज)-** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप व औद्योगिक भ्रमण के लिए सेक्टर से सम्बन्धित स्थानीय औद्योगिक ईकाईयों/संस्थानों की पहचान उपरान्त उनसे सम्पर्क स्थापित कर उद्योगों का सम्पर्क-पूल बनायेगा।
- सेक्टर विशेषज्ञों एवं स्थानीय आर्टिजन की पहचान -** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों के लिए सेक्टर से सम्बन्धित स्थानीय विशेषज्ञों एवं आर्टिजन की पहचान के पश्चात पूल स्थापित कर उसे संस्था-प्रधान से प्रमाणित करवायेगा।
- विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सत्र -** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग /परामर्श सत्र की योजना निर्माण करेगा।

2. व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों का क्रियान्वयन -

- गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन:-** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण योजना के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
- विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय:-** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण योजना के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण योजना के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षक, कौशल मित्र, संस्था-प्रधान, सीबीईओ एवं एडीपीसी के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित करेगा। स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर माह में कम से कम एक बार सम्बन्धित एडीपीसी के साथ बैठक कर व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों के संचालन की अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही प्रत्येक तिमाही में एक बार सम्बन्धित सीबीईओ के साथ बैठक कर अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा।
- सन्दर्भ व्यक्तियों और उद्योग सम्पर्क:-** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर ब्लॉक एवं जिला स्तर पर सेक्टर विशेषज्ञ एवं स्थानीय कलाकार के साथ सम्पर्क बनाये रखना तथा विद्यालय स्तर पर उनकी उपयोगिता सुनिश्चित करेगा।



- d) **विद्यार्थी और अभिभावक काउंसलिंग सत्र** – स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग / परामर्श सत्र की व्यवस्था करेगा। सत्र में अभिभावकों से परिणाम और विद्यार्थी प्रगति जानने के लिए प्रत्येक विद्यालय की कम से कम एक एसडीएमसी बैठक और एक अभिभावक शिक्षक बैठक में भाग लेगा।
- e) **जिला अधिकारियों के साथ बैठक**:- स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर विद्यालय योजना, मासिक प्रगति, अनुपालना रिपोर्ट और अन्य आवश्यक रिपोर्ट जमा करने के लिए माह में एक बार सम्बन्धित एडीपीसी, एपीसी एवं पीओ के साथ बैठक आयोजित करेगा।

4. मॉनिटरिंग –

- a) **व्यावसायिक शिक्षा योजना की नियमित मॉनिटरिंग**:- स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर सभी व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों की प्रगति और क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक माह में एक बार सभी आवंटित विद्यालयों का विजिट करेगा। विजिट उपरान्त छात्र नामांकन, मूल्यांकन, व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थिति, गतिविधि वार स्थिति व परिणाम सहित सभी आवश्यक रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट संधारित कर जिला एवं राज्य कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- b) **फीडबैक प्राप्त करना**:- स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर सभी विद्यार्थियों, संस्था-प्रधान, कौशल मित्र, व्यावसायिक प्रशिक्षक एवं अभिभावकों से व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों के सम्बन्ध में फीडबैक प्राप्त करेगा। विद्यार्थियों से चर्चा के आधार पर एग्जिट सर्वे फॉर्म भी भरेगा।
- c) **राज्य कार्यालय में त्रैमासिक बैठक**:- स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर प्रत्येक तिमाही में एक बार गतिविधियों के समस्त रिकॉर्ड और आगामी योजनाओं के साथ राज्य कार्यालय की बैठक में उपस्थित होगा।
- d) **निरंतर वांछित सुधार**:- स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर आवंटित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना के सभी पहलुओं के निरंतर सुधार में आवश्यक योगदान प्रदान करेगा।
- e) **बेस्ट प्रैक्टिस**:- स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर द्वारा शैक्षणिक वर्ष में दो बार प्रत्येक विद्यालय की बेस्ट प्रैक्टिस की पहचान कर उसकी रिपोर्ट जिला और राज्य कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी। एसकेएफ द्वारा आवंटित विद्यालयों से Success Story/Best Practice को समेकित कर बुकलेट तैयार जायेगी। इसके अतिरिक्त Success Story/Best Practice जिससे विद्यार्थियों के जीवन में हुये परिवर्तन को विभिन्न संवादों (विद्यालय/समाज/संस्था/एजेंसी/शिक्षक/अभिभावक) को सकारात्मक रूप से फिल्मांकन कर समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता पैन ड्राइव में राज्य कार्यालय को उपलब्ध करवायेगें।

29/12/20

अध्याय-7

मानदेय पुनर्भरण, अन्य व्यय के भुगतान संबंधित दिशा-निर्देश व प्रपत्र

मानदेय पुनर्भरण, अन्य व्यय के भुगतान संबंधित दिशा-निर्देश -

1. राज्य कार्यालय द्वारा चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को आवंटित किये गये विद्यालयों में नियोजित किये गये व्यावसायिक प्रशिक्षकों/स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर के मानदेय एवं अन्य व्यय आदि से सम्बन्धित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत की गई पत्रावलियों के पुनर्भरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया जिला कार्यालय द्वारा सम्पादित की जाएगी।
2. जिले में संचालित समस्त विद्यालयों के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) से माहवार एक ही बिल प्राप्त किया जावें। (विद्यालय या व्यवसायवार पृथक-पृथक नहीं)
3. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर का मानदेय एवं कार्यालय व्यय से सम्बन्धित पुनर्भरण बिल उन्हें सर्वाधिक आवंटित विद्यालयों वाले जिले में प्रस्तुत किया जायेगा। स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर का विद्यालय विजिट प्रपत्र संबंधित संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के दोनों पृष्ठ पर संस्था प्रधान के सील व हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है।
4. चयनित पीएमश्री विद्यालयों में 30 विद्यालयों पर एक स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर नियुक्त किया गया है (किसी जिले में 30 से कम विद्यालय होने की स्थिति में स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर में बराबर विद्यालयों का आवंटन किया जाना है)। जिसके द्वारा प्रत्येक माह इनमें से न्यूनतम 22 विद्यालयों का निरीक्षण अर्थात् प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक विद्यालय का कम से कम दो बार निरीक्षण करना अनिवार्य है।

व्यावसायिक समन्वयकों/स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर कम विद्यालय निरीक्षण करने की स्थिति में अनुपातिक रूप से स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर के मानदेय में कटौती एवं राशि रु. 500/- प्रति विद्यालय पैनल्टी की जावेगी। स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर को उक्तानुसार निर्धारित विजिट के गुणक से कम विद्यालय आवंटित होने की स्थिति में कम विजिट होने पर कोई पैनल्टी आरोपित नहीं होगी।

5. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर द्वारा विद्यालय विजिट से संबंधित खर्चों हेतु अधिकतम 300/-रु चाय, नाश्ता, भोजन के लिए तथा 500/-रु प्रतिदिन आवास व्यवस्था हेतु देय है।
6. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर द्वारा की गई यात्राओं से संबंधित यात्रा विवरण (Tour Programme) के साथ खर्चों का विवरण दिनांकवार तैयार कर बिल/रसीद/टिकिट की मूल प्रति पर Paid by me लिखा जाना आवश्यक है।
7. कार्यालय व्यय के वाउचर देयक के साथ मूल ही प्रस्तुत करें, जो प्रिण्टेड बिल, लेटरपेड, अथवा रबड़सील (प्रिण्टेड व्यवस्था नहीं होने पर) पर ही हो, जिस पर फर्म

La AD

का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान व मोबाइल न. अंकित हो एवं भुगतान प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर हो।

8. कार्यालय व्यय के समस्त वाउचरों की संबंधित माह की मूल प्रति (ऑरिजनल) ही संलग्न हो, किसी भी वाउचर्स की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। कार्यालय व्यय में निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज किये जाने पर कटौती की जावे।
9. व्यावसायिक प्रशिक्षक को अनुबंध के अनुसार एक वर्ष में कुल 12 अवकाश देय हैं, अर्थात् एक अवकाश प्रतिमाह दिया जा सकता है। यदि किसी कारणवश चालू माह में अवकाश नहीं लिया हो तो आने वाले महीनों में बकाया अवकाश का अलग से उल्लेख होगा। निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त अवकाश लेने की स्थिति में मानदेय की माह के दिवस के अनुसार आनुपातिक कटौती की जायेगी।
10. यदि व्यावसायिक प्रशिक्षक सार्वजनिक अवकाश के पूर्व बिना स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो कार्य पर वापस आने तक अनुपस्थित माना जावेगा। यदि सार्वजनिक अवकाश से पूर्व उपस्थित रहता है तथा सार्वजनिक अवकाश के पश्चात् अनुपस्थित रह जाता है व पूर्व में अवकाश हेतु स्वीकृति ली गई है तो उक्त सार्वजनिक अवकाश का भुगतान देय होगा, पूर्व में अवकाश की स्वीकृति नहीं लेने की स्थिति में इस प्रकार के अवकाश का भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा नियोजित किये जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों को निर्धारित तिथि तक नियोजित नहीं करने पर राशि रु. 500/- प्रतिदिन प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षक की गणना से पैनल्टी आरोपित होगी।
12. व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा बिना अनुमति के 04 कार्य दिवस अनुपस्थित एवं 07 कार्य दिवस अनुमति लेने के पश्चात् अनुपस्थित रहने की स्थिति में राशि रु. 500/- प्रतिदिन पैनल्टी की जायेगी एवं प्रशासनिक व्यय में भी अनुपातिक कटौती की जायेगी।
13. प्रत्येक कक्षा हेतु प्रतिमाह 01 गेस्ट लेक्चर निर्धारित है। गेस्ट लेक्चर आयोजित नहीं होने की स्थिति में राशि रु. 100/- प्रति गेस्ट लेक्चर पैनल्टी कटौती की जावे। माह मई, जून (ग्रीष्मवकाश) एवं अर्द्धवार्षिक/वार्षिक परीक्षा/राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों हेतु घोषित अवकाश की समयावधि में सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा मूल प्रमाण पत्र (गेस्ट लेक्चर आयोजित न करवाये जा सकने का कारण सहित) संलग्न होने पर पैनल्टी कटौती नहीं की जावेगी।
14. कक्षा 9 व कक्षा 10 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सेक्टर 3 माह में एक बार औद्योगिक भ्रमण (प्रति वर्ष 03) का प्रावधान है, औद्योगिक भ्रमण नही होने की स्थिति में 2000/- प्रति भ्रमण पैनल्टी का प्रावधान है।
15. कक्षा 11 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों हेतु कुल 80 घण्टे का ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप का प्रावधान है, ऑन जॉब ट्रेनिंग निर्धारित तिथियों में आयोजित नही करवाने पर प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस राशि रुपये 100/- पैनल्टी का प्रावधान है।


AD

16. संस्था प्रधान/राज्य कार्यालय द्वारा बजट उपलब्ध नहीं करवाये जाने की स्थिति में उक्त (ओजेटी/आईवी) के संबंध में कोई पैनल्टी नहीं होगी।
17. औद्योगिक भ्रमण/ओजेटी पर किये जाने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित विद्युत अलत द्वारा निर्धारित मद से किया जायेगा। उक्त गतिविधियों के सम्पादित किये जाने का प्रमाणीकरण व्यावसायिक प्रशिक्षक के उपस्थिति प्रमाण पत्र पर संस्था प्रधान द्वारा इन्द्राज किया जावेगा।
18. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा प्रस्तुत बिल में से की गई कटौती का कारण संस्था को पत्र/ईमेल द्वारा अवगत करवाया जावेगा तथा संस्था द्वारा 05 दिवस में स्पष्टीकरण एवं संबंधित दस्तावेज जिला कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जावे, स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में कटौती को अंतिम रूप दिया जाये।
19. उक्त के अतिरिक्त जिला स्तर पर बिलों का पुनर्भरण करते समय निविदा/ईओआई की शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार पत्रावलियों का निस्तारण किया जाये।


AD

व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थिति प्रमाण पत्र-अ

विद्यालय का नाम:-

ब्लॉक..... जिला.....

दूरभाष नम्बर..... मेल आईडी.....

प्रमाणित किया जाता है कि माह वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालय में संचालित सेक्टर में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षक/गतिविधियों की बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार है-

1. व्यावसायिक प्रशिक्षक (V.T.)की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

2. माह में आयोजित गेस्ट लेक्चर का विवरण:-

क्र. स	कक्षा	दिनांक	नामांकन	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (उपस्थित)	गेस्ट लेक्चर का विषय /Topic	विषय विशेषज्ञ का नाम	विषय विशेषज्ञ का पद व पदस्थापन/कार्यरत संस्थान
1	9						
2	10						
3	11						
4	12						

3. वर्तमान माह तक आयोजित औद्योगिक भ्रमण का विवरण:-

औद्योगिक भ्रमण	दिनांक	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	औद्योगिक ईकाई/ संस्था का नाम व पता	औद्योगिक भ्रमण पर किया गया व्यय	विशेष विवरण
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
योग					

हस्ताक्षर

नाम संस्था प्रधान मय मोबाईल नम्बर



4. माह में स्कूल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण

क्र.स	दिनांक	स्कूल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक द्वारा विद्यालय में की गई गतिविधियों का विवरण

5. माह में व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण:-

- प्रायोगिक कार्य हेतु माहवार योजना तैयार की गई है हाँ / नहीं
- गेस्ट लेक्चर एवं औद्योगिक भ्रमण/ओजेटी हेतु योजना तैयार की गई है हाँ / नहीं
- पाठ्यक्रम स्थिति (पूर्ण की जा चुकी ईकाईयों की संख्या)-
- नवाचार (यदि कोई किया गया हो)-
- व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रभावी संचालन हेतु किया गया अतिरिक्त प्रयास
- अन्य-

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षक के समस्त कार्य सन्तोषप्रद रहे हैं। अतः जिला कार्यालय द्वारा नियमानुसार भुगतान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

V.T. Attendance Detail for current Month						
Total Working Day in School	Present	Absent	On leave(Date)	Govt.Holiday (Date)	Principal Power/Other Power Holiday(Date)	Balance of Leaves

हस्ताक्षर

नाम संस्था प्रधान मय मोबाईल नम्बर

(नोट:-यह प्रारूप जुलाई, 2028 से उपस्थिति प्रमाणित करने हेतु लागू होगा) :



स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक निरीक्षण प्रपत्र-ब

1. जिले का नाम..... निरीक्षण दिनांक.....
2. VTP का नाम.....
3. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक का आवंटित जिला मुख्यालय.....
4. विद्यालय का नाम.....
5. संस्था प्रधान का नाम..... मोबाईल.....
6. कौशल मित्र का नाम व मोबाईल नम्बर.....
7. निरीक्षण दिवस को व्यावसायिक प्रशिक्षक की उपस्थिति
8. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक का नाम व मोबाईल नं.....
9. विद्यालय में आवंटित/संचालित सेक्टर का नाम.....
10. व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत नामांकित विद्यार्थियों का विवरण।

ट्रेड/सेक्टर का नाम	कक्षा 9			कक्षा 10			कक्षा 11			कक्षा 12		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T

11. निरीक्षण दिवस में विद्यार्थियों की उपस्थिति।

ट्रेड/सेक्टर का नाम	कक्षा 9			कक्षा 10			कक्षा 11			कक्षा 12		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T

12. विद्यार्थियों को कार्यपुस्तिका की उपलब्धता। हाँ/नहीं
13. प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु राशि। प्राप्त/अप्राप्त
14. सेक्टरवार प्रयोगशाला की स्थिति

सेक्टर का नाम	पूर्ण स्थापित	आंशिक स्थापित	स्थापित नहीं	सामग्री की उपलब्धता पर्याप्त/अपर्याप्त
सेक्टर-1				
सेक्टर-2				

हस्ताक्षर
स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक

हस्ताक्षर
संस्था प्रधान

Handwritten signature/initials

15. निरीक्षण दिनांक तक आयोजित कराये गये गेस्ट लेक्चर का विवरण :-

क्र. स	कक्षा	दिनांक	नामांकन	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (उपस्थित)	गेस्ट लेक्चर का विषय /Topic	विषय विशेषज्ञ का नाम	विषय विशेषज्ञ का पद व पदस्थापन/कार्यरत संस्थान
1	9						
2	10						
3	11						
4	12						

16. निरीक्षण दिनांक तक आयोजित औद्योगिक भ्रमण का विवरण:-

औद्योगिक भ्रमण	दिनांक	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	औद्योगिक ईकाई/ संस्था का नाम व पता	औद्योगिक भ्रमण पर किया गया व्यय	विशेष विवरण
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
योग					

17. व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रभावी संचालन हेतु विद्यालय में स्किल नॉलेज फॅसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विवरण- (सभी कॉलम आवश्यक रूप से भरें।)

क्र. सं.	किये जाने वाले कार्यों का विवरण	(हाँ/नहीं)
1	गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण व आन जॉब ट्रेनिंग की माहवार प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में कार्य किया गया।	
2	औद्योगिक ईकाई/संस्थानों के साथ लिंकेज स्थापित किया गया।	
3	सैद्धान्तिक व प्रायोगिक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु कार्ययोजना निर्माण।	
4	गृह कार्य/प्रायोगिक कार्य का निरीक्षण किया गया।	
5	नवाचार हेतु कार्ययोजना निर्माण/आयोजन।	

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

स्किल नॉलेज फॅसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक
नाम व मोबाइल नम्बर

संस्था प्रधान
नाम मय पद एवं मोहर

(नोट:-यह प्रारूप जुलाई, 2026 से लागू होगा)

Handwritten signature

उक्तानुसार समस्त दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना कर समयबद्ध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों का आयोजन/संचालन सुनिश्चित करावें।

(डॉ. रश्मि शर्मा)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

क्रमांक: रास्कूशिप/जय/व्या.शि./दिशा-निर्देश/2026-27/ 7008 दिनांक 10/7/2026
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा व पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
02. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
04. निजी सहायक, निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
05. निजी सहायक, सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
06. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
07. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
08. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, रा. स्कूल शि.प., जयपुर।
09. अतिरिक्त निदेशक, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
10. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
11. उपायुक्त, शाला दर्पण, रा. स्कूल शि.प., जयपुर को पोर्टल पर व्यावसायिक शिक्षा टैब में अपलोड कराने हेतु।
12. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), समस्त संभाग।
13. उपनिदेशक, आई.सी.टी., रा.स्कूल शि.प., जयपुर को पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में अपलोड कराने हेतु।
14. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा कार्यालय, समस्त जिले।
15. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा कार्यालय, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि दिशा-निर्देश की प्रति सम्बन्धित सी.बी.ई.ई.ओ., पी.ई.ई.ओ. एवं संस्था प्रधान (व्या.शि. संचालित विद्यालय) को भिजवाना सुनिश्चित करें।
16. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त सम्बन्धित ब्लॉक (राजस्थान)।
17. संस्था प्रधान, समस्त व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय (राजस्थान)।
18. रक्षित पत्रावली।

LD
AD-VOL

पीएमश्री योजनान्तर्गत अनुमोदित नवीन 10 विद्यालयों की सूची

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
1	BUNDI	8230210209	GOVT. Hr. SEC. SCHOOL LESARDA	Apparel Made-ups and Home Furnishing	NA
2	BUNDI	8230318019	GOVT.Hr. SEC. SCHOOL KARWAR	Electronics & Hardware	NA
3	BUNDI	8230229101	GOVT. SR. SEC BALIKA SCHOOL INDERGARH	Food Processing	NA
4	BUNDI	8230507715	GOVT. Sr.SEC. SCHOOL KHATKAD	IT-ITES	Organized Retail
5	KOTA	8300427601	G.G.S.S.S RAMGANJMANDI	Apparel Made-ups and Home Furnishing	Healthcare
6	KOTA	8300200655	G.S.S.S. SULTANPUR	Agriculture	NA
7	KOTA	8300200656	M.G.G.S. SULTANPUR	Automotive	NA
8	KOTA	8300409124	G.S.S.S. SUKET	Automotive	NA
9	KOTA	8300304610	G.S.S.S. TATHED	Electronics & Hardware	NA
10	KOTA	8300500110	M.G.G.S BAPAWAR KALAN KOTA	Electronics & Hardware	NA

पीएमश्री योजनान्तर्गत पूर्व संचालित (Existing) 549 विद्यालयों की सूची

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
1	AJMER	8211609001	G.S.SEC. SCHOOL SARWAR	Automotive	Healthcare
2	AJMER	8210310305	G.VYAPARIK SR.SEC. NASIRABAD	Healthcare	Beauty & Wellness
3	AJMER	8210524502	G.G.SR.SEC. CHAWNI BEAWAR	Healthcare	Beauty & Wellness
4	AJMER	8211504308	G.G.SR.SEC.S.GULABBARI AJMER	Healthcare	Beauty & Wellness
5	AJMER	8210112307	G.SR.SEC.SCHOOL KISHANGARH	IT/ITeS	Organized Retail
6	AJMER	8210810304	G.SR.SEC SCHOOL .KEKRI	IT/ITeS	Automotive
7	AJMER	8210209701	G.SR.SEC.SCH. SIRONJ	Agriculture	NA
8	AJMER	8210300201	G.SR.SEC.SCHOOL FARKIYA	Agriculture	NA
9	AJMER	8211600201	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAKVA	Agriculture	NA
10	AJMER	8210309101	G.SR.SEC.SCH. LOHAGAL	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
11	AJMER	8210403101	G.Sr.SEC.SCHOOL BIDKCHIYAVAS	Automotive	NA
12	AJMER	8210619101	G.SEC.SCH DEVMAGRI	Beauty & Wellness	NA
13	AJMER	8210105714	G.SR.SEC.SCH SURSURA	Food Processing	NA
14	AJMER	8210401204	Govt Girls Senior Secondary School Nagelav	Healthcare	NA
15	AJMER	8210413502	MAHATMA GANDHI GOVT.SCHOOL.KENDRIYA PUSHKAR	Healthcare	NA
16	AJMER	8210700105	G.SR.SEC.S. DEVLİYAKALAN	IT/ITeS	NA
17	AJMER	8210804801	G.SECONDARY SCHOOL SANKARIYA	IT/ITeS	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
18	AJMER	8210809903	G.G.SR.SEC.S. KADEDA	IT/ITeS	NA
19	AJMER	8211610703	MAHATMA GANDHI GOVT.SCHOOL VIJAYDWAR SARWAR	IT/ITeS	NA
20	ALWAR	8060407001	GOVT. ADARSH SHSS KHANPUR MEWAN	Agriculture	IT/ITeS
21	ALWAR	8061205416	GOVT. ADARSH SHSS PINAN	Agriculture	Tourism & Hospitality
22	ALWAR	8060312514	GOVT. ADARSH SHSS JINDOLI	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
23	ALWAR	8060817718	GOVT. ADARSH SHSS NAVEEN ALWAR	Beauty & Wellness	Plumbing
24	ALWAR	8060109301	GOVT. SHSS Girls BEHROR	Healthcare	Beauty & Wellness
25	ALWAR	8060414283	GOVT. SHSS (BOY) KHAIRTHAL	Healthcare	IT/ITeS
26	ALWAR	8060622203	GOVT. SHSS (G) TIJARA	Healthcare	Beauty & Wellness
27	ALWAR	8060700101	GOVT. ADARSH SHSS ALAWADA	Healthcare	Organized Retail
28	ALWAR	8061403409	GOVT. AADARSH SHSS TASAI	IT/ITeS	Healthcare
29	ALWAR	8060100131	GOVT. ADARSH SHSS BHEEMRAJ BARDOD	Agriculture	NA
30	ALWAR	8061114897	GOVT. SHSS RAJGARH	Agriculture	NA
31	ALWAR	8061313401	GOVT. ADARSH SHSS KHEDA MAHMOOD	Agriculture	NA
32	ALWAR	8061011601	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL CHURANI	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
33	ALWAR	8061107513	GOVT. ADRASH SHSS SAKAT	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
34	ALWAR	8060403212	GOVT. SR.SEC. SCHOOL BAS KIRPAL NAGAR	Automotive	NA
35	ALWAR	8060412501	GOVT. ADARSH SHSS RAYABKA	Automotive	NA
36	ALWAR	8060609502	GOVT. ADARSH SHSS KHIDARPUR	Automotive	NA
37	ALWAR	8061300135	GOVT. ADARSH SHSS LAXMANGARH	Automotive	NA
38	ALWAR	8061416154	GOVT. AADARSH SHSS KHERLI	Construction	NA
39	ALWAR	8060812801	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANDIPURA	Electronics & Hardware	NA
40	ALWAR	8060503701	GOVT. ADARSH SHSS TAUWAS	IT/ITeS	NA
41	ALWAR	8060809901	GSSS KHAREDA	IT/ITeS	NA
42	ALWAR	8060910301	GOVT. SHSS CHATARPURA	IT/ITeS	NA
43	ALWAR	8061004732	GOVT. ADARSH SHSS THANAGAZI	IT/ITeS	NA
44	ALWAR	8061307601	GOVT. ADARSH SHSS BEECHGANV	IT/ITeS	NA
45	BANSWARA	8280602718	GOVT. S. S. S BARODIYA	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Automotive
46	BANSWARA	8280900215	GOVT. SEN. SEC. SCHOOL ARTHUNA	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Automotive
47	BANSWARA	8280808406	GOVT. SIN. SEC.TIMEDA BADA	Automotive	Electronics & Hardware
48	BANSWARA	8280111801	GOVT. SIN. SEC.SCHOOL KHERWA	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
49	BANSWARA	8280217015	GOVT. SIN. SECS. CHOTI SARVAN	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
50	BANSWARA	8280401812	GOVT. SEN. SEC. SCHOOL LOHARIYA	Beauty & Wellness	Apparel Made-ups & Home Furnishings
51	BANSWARA	8280408114	GOVT. SEN. SEC. SCHOOL GARHI	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
52	BANSWARA	8280500115	GOVT GOVIND GURU S.SEC. ANANDPURI	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
53	BANSWARA	8281109201	GOVT. S. S. S. TANDINANI	Electronics & Hardware	IT/ITeS
54	BANSWARA	8280301811	GOVT. SIN. SEC. SCHOOL KUPDA	IT/ITeS	Electronics & Hardware
55	BANSWARA	8280706506	GOVT. SR. SECONDARY SCHOOL JALIMPURA	IT/ITeS	Organized Retail
56	BANSWARA	8281009809	GOVT. SIN. SEC. SCHOOL LIMTHAN	IT/ITeS	Plumbing
57	BANSWARA	8280405401	GOVT. SR. SEC. SCHOOL SAMAGADA	Automotive	NA
58	BANSWARA	8281013506	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL, KHANDU COLONY BANSWARA	Organized Retail	NA
59	BARAN	8310210105	G.SR.SEC. SCHOOL SORSAN	Agriculture	Tourism & Hospitality
60	BARAN	8310206436	G.SR. SEC. S. SISWALI	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Electronics & Hardware
61	BARAN	8310219503	G. SR. SEC. SCHOOL ANTA W-22	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Electronics & Hardware
62	BARAN	8310313423	GOVT. ADARSH SR.SEC.SCHOOL ATRU	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Electronics & Hardware
63	BARAN	8310221701	G.G.S.SEC.S.	Beauty & Wellness	Healthcare
64	BARAN	8310607405	G.SR.SEC.SCHOOL GHATTI	Beauty & Wellness	Healthcare
65	BARAN	8310516256	G.SR.SEC. CHHIPABROD	Healthcare	IT/ITeS
66	BARAN	8310703118	G. SR. SEC. SCHOOL SAMRANIYA	Healthcare	IT/ITeS
67	BARAN	8310424503	G.SR.SEC. SCHOOL CHHABRA	IT/ITeS	Healthcare
68	BARAN	8310100104	G.S.SEC.S. KOYLA	Beauty & Wellness	NA
69	BARAN	8310108601	Govt sr sec school GAJANPURA	Healthcare	NA
70	BARAN	8310312801	GOVT.SR.SEC.SCHOOL KAWAI	Telecom	NA
71	BARMER	8170703319	GASSS DHANAU	Agriculture	Healthcare
72	BARMER	8171208801	GSSS SINDHASWA HARNIYAN	Agriculture	Electronics & Hardware
73	BARMER	8170200108	GSSS BAITU	Automotive	IT/ITeS
74	BARMER	8171108201	GSSS KHOKHASAR	Automotive	Tourism & Hospitality
75	BARMER	8170301602	GSSS GANDHI PURA	Beauty & Wellness	Plumbing
76	BARMER	8170304421	GSSS GIRLS JASOL	Beauty & Wellness	Organized Retail
77	BARMER	8170400149	GGSS SIWANA	Beauty & Wellness	Healthcare
78	BARMER	8170637101	MAHATMA GANDHI RAJKEEY VIDYALAYA,STATION ROAD ,BARMER	Beauty & Wellness	Healthcare
79	BARMER	8170817802	GSSS KHATRIYO KI BERI	Beauty & Wellness	Healthcare
80	BARMER	8171507607	GSSS KHADIN	Healthcare	IT/ITeS
81	BARMER	8171601726	GGSSS SAMDARI	Healthcare	Beauty & Wellness
82	BARMER	8170645601	GSSS BHADAKHA	Security	IT/ITeS

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
83	BARMER	8170127001	GSSS JHANPALI KALAN	Agriculture	NA
84	BARMER	8170500701	GSS KHARAMEHECHA	Agriculture	NA
85	BARMER	8171000501	MGSS SOLANKIYA	Agriculture	NA
86	BARMER	8171708820	GSSS SONARI	Agriculture	NA
87	BARMER	8170802001	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL AALETI	Automotive	NA
88	BARMER	8171006113	GSSS GADRA ROAD TRFF	Automotive	NA
89	BARMER	8171400104	MAHATMA GANDHI GOVERNMENT SCHOOL,MEGHWALO KA VAS PATODI	Automotive	NA
90	BARMER	8171705901	GSSS MADAWA	Automotive	NA
91	BARMER	8170515901	GSSS AMAR PURA	Banking, Financial Services & Insurance	NA
92	BARMER	8171702901	GSSS FAGLIYA	Banking, Financial Services & Insurance	NA
93	BARMER	8170653302	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHERDI NADI	Electronics & Hardware	NA
94	BARMER	8171202301	GSSS CHHOTU	Electronics & Hardware	NA
95	BARMER	8171207701	GSSS NAVA KUA	Electronics & Hardware	NA
96	BARMER	8171304501	GSSS SARAWADI	Electronics & Hardware	NA
97	BARMER	8171711301	GSSS MIYAJALE KI BERI	Electronics & Hardware	NA
98	BARMER	8170409004	GGSSS SCHOOL PADRU	IT/ITeS	NA
99	BARMER	8170900801	GSSS KAPRAU	IT/ITeS	NA
100	BHARATPUR	8070705420	GOVT SR. SEC. SCHOOL HALAINA	Agriculture	Automotive
101	BHARATPUR	8070720405	GOVT. SR.SEC. SCHOOL BHUSAWAR	Agriculture	Automotive
102	BHARATPUR	8070128405	GOVT SR SEC SCH. KAMAN	Automotive	IT/ITeS
103	BHARATPUR	8070717603	GOVT.SR.SEC. SCHOOL WEIR	Automotive	IT/ITeS
104	BHARATPUR	8070827102	GOVT SR SEC S BAYANA	Automotive	IT/ITeS
105	BHARATPUR	8070518299	GOVT. SR.SEC.SCHOOL SEWAR	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
106	BHARATPUR	8070519801	GOVT.SR.SEC.SCHOOL.MAHARAJGAR	Electronics & Hardware	Apparel Made-ups & Home Furnishings
107	BHARATPUR	8070308606	GOVT. SR. SEC. SEELA JOSHI SCH. BEHAJ	Organized Retail	IT/ITeS
108	BHARATPUR	8070901906	GOVT SR SEC. SCH. KHAN SURJAPUR	Tourism & Hospitality	Apparel Made-ups & Home Furnishings
109	BHARATPUR	8070407506	GOVT SR. SEC. SCHOOL HELAK	Agriculture	NA
110	BHARATPUR	8070200110	GOVT SR SEC SCHOOL GULPADA	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
111	BHARATPUR	8070902104	GOVT.SH. R.BABU SR. SEC.SCH.UCHCHAIN	Banking, Financial Services & Insurance	NA
112	BHARATPUR	8070515301	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MANHAGAYA SEWAR BPR	Beauty & Wellness	NA
113	BHARATPUR	8070609904	GOVT. SR. SEC. SCHOOL KATARA	Beauty & Wellness	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
114	BHARATPUR	8070903717	MAHATMA GANDHI GOVERNMENT. . SCHOOL . RUDAWAL	Beauty & Wellness	NA
115	BHARATPUR	8070100401	GOVT SR.SEC. SABLANA	Electronics & Hardware	NA
116	BHARATPUR	8071006901	GOVT SR.SEC.SCHOOL KATHOL	IT/ITeS	NA
117	BHILWARA	8240501212	G.S.S.S. GYAANGARH	Agriculture	Beauty & Wellness
118	BHILWARA	8240849902	G.G.S.S.S. BAPU NAGAR	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Beauty & Wellness
119	BHILWARA	8240916403	G.S.S.S. VISHNIA	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Beauty & Wellness
120	BHILWARA	8241141802	G.S.S.S.MAHARANA MADAL GHAR	Automotive	IT/ITeS
121	BHILWARA	8240518632	G.S.S.S MANDAL	Banking, Financial Services & Insurance	Food Processing
122	BHILWARA	8240326303	VEER MATA MANIKA KANWAR G.S.S. SHAHPURA	Beauty & Wellness	Healthcare
123	BHILWARA	8240728905	G.S.S.S. GANGAPUR	Electronics & Hardware	Tourism & Hospitality
124	BHILWARA	8241101604	G.S.S.S. DHAMNIYA	Food Processing	Electronics & Hardware
125	BHILWARA	8240207603	G.G.U.S.S. GULABPURA	Healthcare	Beauty & Wellness
126	BHILWARA	8240203113	G.H.S.S. HURDA	IT/ITeS	Automotive
127	BHILWARA	8240308111	G.HR..SEC. KOTHIAN	IT/ITeS	Healthcare
128	BHILWARA	8241026100	GOVT. MAHARANA S.S.S. JAHJPUR	IT/ITeS	Automotive
129	BHILWARA	8240400116	G.S.S.S. AKSHAY SMARAK BANERA	Organized Retail	Healthcare
130	BHILWARA	8240122305	G.S.S.S. ASIND	Agriculture	NA
131	BHILWARA	8240811317	G.S.S.S. HAMEERGARH	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
132	BHILWARA	8241202203	G.S.S. KANSYA	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
133	BHILWARA	8240118701	G.S.S.S. CHATARPURA	Electronics & Hardware	NA
134	BHILWARA	8240602701	G.S.S.S. KHEMANA	Electronics & Hardware	NA
135	BHILWARA	8240806603	G.S.S.S. KODUKOTA	Electronics & Hardware	NA
136	BHILWARA	8241016701	G.S.S.S. BANKRA	IT/ITeS	NA
137	BIKANER	8030126015	G.SR.SEC.SCHOOL sardul Bikaner	Automotive	Tourism & Hospitality
138	BIKANER	8030510502	G.SR.SEC. SCHOOL SHRIDUNGARGARH	Electronics & Hardware	Plumbing
139	BIKANER	8030125808	G. KARNI ADARSH SR.SEC.SCHOOL DESHNOK	Healthcare	IT/ITeS
140	BIKANER	8030421103	G.SR.SEC.SCHOOL BABA CHHOTU NATH	Retail	Beauty & Wellness
141	BIKANER	8030104607	G.SR.SEC.SCHOOL GADHWALA	Agriculture	NA
142	BIKANER	8030703704	G.SR.SEC.SCHOOL NATHUSAR	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
143	BIKANER	8030504802	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL KEU PURANI	Automotive	NA
144	BIKANER	8030412003	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL HIMMATSAR	Beauty & Wellness	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
145	BIKANER	8030500901	G.SR.SEC.SCHOOL, KITASAR	Beauty & Wellness	NA
146	BIKANER	8030603226	MAHATMA GANDHI GOVT SCHOOL KHAJUWALA	Beauty & Wellness	NA
147	BIKANER	8030310014	G.SR.SEC. SCHOOL GODU	Construction	NA
148	BIKANER	8030302801	G. SR.SEC. SCHOOL, BHELU	Electronics & Hardware	NA
149	BIKANER	8030208502	G.SR.SEC.SCHOOL SANSKRIT, KHODALA	IT/ITeS	NA
150	BIKANER	8030410801	GOVT.ADARSH SR.SEC.SCHOOL, MORKHANA ATHUNA	IT/ITeS	NA
151	BIKANER	8030602801	G.SR.SEC.SCHOOL, 22 KYD KHAJUWALA	IT/ITeS	NA
152	BIKANER	8030609101	G.SEC.SCHOOL, DANDI	IT/ITeS	NA
153	BUNDI	8230518206	GOVT. Sr.SEC. SCHOOL BUNDI	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Beauty & Wellness
154	BUNDI	8230120415	GOVT .AADAESH Hr.SEC.SCHOLL DHOWDA	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
155	BUNDI	8230211305	GOVT. Hr. SEC SCHOOL MAYAJA	IT/ITeS	Organized Retail
156	BUNDI	8230306601	GOVT.AADRSR HR. SEC. JAIPUR	IT/ITeS	Healthcare
157	BUNDI	8230322304	GOVT. AADRESH HR..SEC. SCHOOL NAINWA	Organized Retail	Healthcare
158	BUNDI	8230229801	GOVT. Sr. SEC. SCHOOL W.N.12 INDERGARH	Agriculture	NA
159	BUNDI	8230226903	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SHANKARPURA LAKHERI (461948)	Automotive	NA
160	BUNDI	8230405005	GOVT. SR. SECONDARY BARUNDHAN	Construction	NA
161	BUNDI	8230504904	GOVT. SR. SEC. RAMGANJ	Construction	NA
162	BUNDI	8230231802	GOVT. Sr. SEC. SCHOOL W.N. 20 KAPREN	Electronics & Hardware	NA
163	CHITTAURGARH	8290428701	H.SEC. RAWATBHATA - 11	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
164	CHITTAURGARH	8290525502	MAHATMA GANDHI GOVT SCHOOL STATION CHITTORGARH	Beauty & Wellness	Tourism & Hospitality
165	CHITTAURGARH	8291210920	Govt. SEN. SEC.SCHOOL BOHEDA	Healthcare	Apparel Made-ups & Home Furnishings
166	CHITTAURGARH	8290327401	GOVT GIRLS SENI.SEC.SCHOOL BEGUN	IT/ITeS	Beauty & Wellness
167	CHITTAURGARH	8290908108	GOVT.S.SEC.SCHOOL BANSEN	IT/ITeS	Healthcare
168	CHITTAURGARH	8291009401	GOVT. SR.SEC.SCHOOL JAWADA II	IT/ITeS	Healthcare
169	CHITTAURGARH	8291017203	GOVT SIN SEC SCHOOL NIMBAHERA	IT/ITeS	Healthcare
170	CHITTAURGARH	8291217003	GOVT GIRLS SR.SEC.SCHOOL BARISADRI	IT/ITeS	Beauty & Wellness
171	CHITTAURGARH	8290305002	GOVT SENI. SEC.SCH. KATUNDA	Agriculture	NA
172	CHITTAURGARH	8290613101	GOVT MAHARANA HR SEC SCHOOL KAPASAN	Agriculture	NA
173	CHITTAURGARH	8290212635	GOVT. HR. SEN SEC GANGRAR	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
174	CHITTAURGARH	8290809101	GOVT.HIR.SEC.SCHOOL BILOT	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
175	CHITTAURGARH	8290102401	GOVT.S.SEC PAHUNA	Electronics & Hardware	NA
176	CHITTAURGARH	8290500101	GOVT.SR.SEC. SCHOOL PALKA	IT/ITeS	NA
177	CHITTAURGARH	8290702806	GOVT.M.C.G.S.SEC.SCHOOL	IT/ITeS	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
178	CHURU	8040224802	GHSSG MOHTA RAJGARH	Beauty & Wellness	Security
179	CHURU	8040520304	GGSSS KANOOI SUJANGARH	Beauty & Wellness	Healthcare
180	CHURU	8040603204	GSSS SITSAR	Electronics & Hardware	Beauty & Wellness
181	CHURU	8040326003	SSS TANTIA G SARDARSHAHAR	Healthcare	Beauty & Wellness
182	CHURU	8040612602	SMT. BHAGWAN DEVI SSS RATANGARH	Healthcare	IT/ITeS
183	CHURU	8040616104	UNION GGSSS RAJLDESAR	Healthcare	Beauty & Wellness
184	CHURU	8040706902	GGSSS DHAPU DEVI CHORDIAYA BIDASAR	Healthcare	IT/ITeS
185	CHURU	8040702304	GSSS SANDVA	IT/ITeS	Beauty & Wellness
186	CHURU	8040101103	GSSS DHEERWAS BARA	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
187	CHURU	8040500701	GSS KHARIA KANIRAM	Automotive	NA
188	CHURU	8040416102	GOVT. BAGLA SSS CHURU	Banking, Financial Services & Insurance	NA
189	CHURU	8040417006	SHRI H.P. BUDHIA GSSS RATANNAGAR	Beauty & Wellness	NA
190	CHURU	8040317504	G.S.S.S. KHEJRA.	Electronics & Hardware	NA
191	CHURU	8040400106	GSSS KHANDWA P. CHURU	Electronics & Hardware	NA
192	CHURU	8040114902	INDERMANI SHARDA GGSSS TARANAGAR	Food Processing	NA
193	CHURU	8040213405	GHSS HAMIRWAS	IT/ITeS	NA
194	DAUSA	8110107807	GOVT. SSS GUDHA KATLA	Beauty & Wellness	IT/ITeS
195	DAUSA	8110220701	GOVT. SS KALI PAHADI	Beauty & Wellness	IT/ITeS
196	DAUSA	8110227404	SH. R. K. JOSHI GOVT SER. SEC. SCHOOL DAUSA	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
197	DAUSA	8110324004	SH. ASHOK SHARMA SSS LALSOT	Beauty & Wellness	Plumbing
198	DAUSA	8110605302	GOVT. SS KHANWAS	Beauty & Wellness	Agriculture
199	DAUSA	8110607501	GOVT. SSS NANGAL RAJAWTAN	Beauty & Wellness	Construction
200	DAUSA	8110120901	SH. B.N. JOSHI GOVT. SSS BANDIKUI	IT/ITeS	Beauty & Wellness
201	DAUSA	8110307101	GOVT. SSS SANWASA	IT/ITeS	Beauty & Wellness
202	DAUSA	8110325913	GOVT. SSS RAMGARH PACHWARA	IT/ITeS	Beauty & Wellness
203	DAUSA	8110509207	GOVT. SSS BAHRAWANDA	IT/ITeS	Beauty & Wellness
204	DAUSA	8110305125	GOVT. GIRLS SSS MANDAWARI	Banking, Financial Services & Insurance	NA
205	DAUSA	8110401703	GOVT. SSS GIRLS MAHUWA	Banking, Financial Services & Insurance	NA
206	DAUSA	8110608701	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL RAMSINGHPURA	Beauty & Wellness	NA
207	DAUSA	8110116005	GOVT. SS BAIJUPADA	IT/ITeS	NA
208	DAUSA	8110503203	GOVT. SSS CHOKARWADA	IT/ITeS	NA
209	DAUSA	8110107407	GOVT SR SEC SCHOOL ARNIYA	Tourism & Hospitality	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
210	DHAULPUR	8080100103	GOVT.G.S.S.S BASERI	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
211	DHAULPUR	8080111804	GOVT G.S.S.S. SARMAHURA	Beauty & Wellness	IT/ITeS
212	DHAULPUR	8080204003	GOVT. SR.SEC. SCHOOL TONTARI	Healthcare	Beauty & Wellness
213	DHAULPUR	8080112505	GOVT HR. SEC.S. ANGAI	IT/ITeS	Organized Retail
214	DHAULPUR	8080219202	GOVT. SR.SEC.SCHOOL	Organized Retail	Security
215	DHAULPUR	8080424303	GOVT S.S. SCH. RAJAKHERA W.NO. 25	Agriculture	NA
216	DHAULPUR	8080204903	MAHATMA GANDHI GOVT.SCHOOL RAHAL	Beauty & Wellness	NA
217	DHAULPUR	8080311704	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SHERPUR	Beauty & Wellness	NA
218	DHAULPUR	8080326004	MAHATMA GANDHI GOVT.SCHOOL CITY KOTWALI	Beauty & Wellness	NA
219	DHAULPUR	8080326301	GOVT.G.S.S.S. BADA HAIDER SHAH DHOLPUR	Beauty & Wellness	NA
220	DHAULPUR	8080501701	GOVT.SR.SEC.SCHOOL CHAURAKHERA	Beauty & Wellness	NA
221	DHAULPUR	8080104606	GOVT.GIR.SR.SEC.SCHOOL KHIDORA	Electronics & Hardware	NA
222	DUNGARPUR	8270400510	G.SR.SEC.SCH PADARDI BADI	Agriculture	Apparel Made-ups & Home Furnishings
223	DUNGARPUR	8270515222	G.SR.SEC. MANI LAL.P. SIMALWARA	Agriculture	Apparel Made-ups & Home Furnishings
224	DUNGARPUR	8270803005	G.S.SEC.S.CHITRI	Agriculture	Apparel Made-ups & Home Furnishings
225	DUNGARPUR	8270219401	G.G.SR.SEC.TOWN DUNGARPUR	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Healthcare
226	DUNGARPUR	8270603410	G.SR.SEC.SCH KUNVA	Automotive	Electronics & Hardware
227	DUNGARPUR	8271000620	G.SR.SEC.SCH.SABLA	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
228	DUNGARPUR	8270100716	G.S.SEC.S.GALANDAR PAL	Electronics & Hardware	IT/ITeS
229	DUNGARPUR	8270417605	G.MAHIPAL.S.SEC S.SAGWARA	Organized Retail	Apparel Made-ups & Home Furnishings
230	DUNGARPUR	8270901101	G.S.SEC.S.VIKAS NAGAR	Organized Retail	Security
231	DUNGARPUR	8270301712	G.S.SEC.S BANKODA	Security	Beauty & Wellness
232	DUNGARPUR	8270224801	G.S.SEC.S.THANA	Tourism & Hospitality	Healthcare
233	DUNGARPUR	8270702805	AD. G.SR.SEC.S. DOLVAR KAHARI	Tourism & Hospitality	Healthcare
234	HANUMANGARH	8020305813	GSSS AJEET PURA	Agriculture	IT/ITeS
235	HANUMANGARH	8020222702	GSSS NOHAR	Beauty & Wellness	Security
236	HANUMANGARH	8020532606	GASSS PILIBANGAN	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
237	HANUMANGARH	8020415702	GSSS RAWATSAR	Electronics & Hardware	Plumbing
238	HANUMANGARH	8020103803	GSSS JODKIA	Telecom	Plumbing
239	HANUMANGARH	8020141101	GSSS HMMH	Telecom	Plumbing
240	HANUMANGARH	8020501811	GSSS 22 JRK	Telecom	Electronics & Hardware

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
241	HANUMANGARH	8020601202	GSSS W N 12 SANGARIA	Telecom	Electronics & Hardware
242	HANUMANGARH	8020324002	GSSS BHADRA	Agriculture	NA
243	HANUMANGARH	8020405602	GSSS DHANNASAR	Beauty & Wellness	NA
244	HANUMANGARH	8020706409	GSSS MEHARWALA	Food Processing	NA
245	HANUMANGARH	8020608108	MGGS RATANPURA	IT/ITeS	NA
246	JAIPUR	8120708006	GOVT ADARSH SEN SEC. J.RAMGARH	Automotive	IT/ITeS
247	JAIPUR	8120112505	GOVT GIRLS SEN.SEC SCH KOTPUTLI	Beauty & Wellness	Healthcare
248	JAIPUR	8121105026	GOVT SEN. SEC. SCH. PHAGI	Beauty & Wellness	Food Processing
249	JAIPUR	8121216905	GOVT GIRLS SEN.SEC.BAGRU	Beauty & Wellness	IT/ITeS
250	JAIPUR	8120717201	GOVT ADARSH SEN SEC ANDHI	Electronics & Hardware	Healthcare
251	JAIPUR	8122906101	GOVT SR.SEC.SCH KHORASHYAMDAS	Electronics & Hardware	IT/ITeS
252	JAIPUR	8120520006	GOVT SEN.SEC.SCHOOL SAMBHAR	Healthcare	IT/ITeS
253	JAIPUR	8122608301	GOVT ADARSH GIRLS SEN.SEC.GANGORI	Healthcare	Beauty & Wellness
254	JAIPUR	8120305903	GOVT SEN SEC.SCH DEVAN	IT/ITeS	Organized Retail
255	JAIPUR	8120819510	GOVT SR.SEC.SCH.TOONGA	Agriculture	NA
256	JAIPUR	8121203503	GOVT SR. SEC.SCH.JAI.SINGH PURA	Agriculture	NA
257	JAIPUR	8123001506	GOVT SEN.SEC.SCHOOL DANTIL	Agriculture	NA
258	JAIPUR	8121009601	GOVT SR. SEC. SCHOOL BORAJ	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
259	JAIPUR	8121001201	GOVT SEN SEC SCH DUDU	Automotive	NA
260	JAIPUR	8120413311	GOVT SEN.SEC.SCH CHOMU	Banking, Financial Services & Insurance	NA
261	JAIPUR	8120900602	MAHATMA GANDHI GOVT (ENGILSH MEDIUM) SCHOOL JHOTWARA JAIPUR	Banking, Financial Services & Insurance	NA
262	JAIPUR	8122801610	GOVT SR SEC SCH MEENA WALA	Banking, Financial Services & Insurance	NA
263	JAIPUR	8121017101	GOVT SR. SEC. SCHOOL BOBAS	Beauty & Wellness	NA
264	JAIPUR	8121114706	GOVT SEN. SEC. RENWAL MANJEE	Beauty & Wellness	NA
265	JAIPUR	8120308604	GOVT SEN SEC SCH MANOHARPUR	Electronics & Hardware	NA
266	JAIPUR	8121312309	GOVT SEN SEC SCH KADERA	Electronics & Hardware	NA
267	JAIPUR	8121324701	GOVT SEN.SEC SCH DEHLALA	Electronics & Hardware	NA
268	JAIPUR	8120201501	GOVT SECONDARY SCHOOL CHHAPURA KALAN	IT/ITeS	NA
269	JAIPUR	8120515105	SETH SURAJMAL AGARWAL GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PHULERA	IT/ITeS	NA
270	JAIPUR	8120525601	GOVT SEN SEC SCH MOHANPURA BALAJI	IT/ITeS	NA
271	JAIPUR	8120616601	GOVT SEN.SEC. MANPURA MACHEDI	IT/ITeS	NA
272	JAISALMER	8160126103	GOVT.HR.SEC.SCH.AMAR SAHID S.M.GOPA	Automotive	IT/ITeS
273	JAISALMER	8160215821	GOVT. SR.SEC.SCHOOL RAMDEVRA	Automotive	IT/ITeS

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
274	JAISALMER	8160104004	GOVT. SEN.SEC SCHOOL_NOKH	IT/ITeS	Organized Retail
275	JAISALMER	8160303601	GOVT. SR.SEC.SCHOOL FATEHGARH	IT/ITeS	Organized Retail
276	JAISALMER	8160200127	GOVT. SR.SEC. SCHOOL BHANIYANA	Agriculture	NA
277	JAISALMER	8160108101	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DIDHU	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
278	JAISALMER	8160108905	SHAHID UDAY SINGH SODHA GOVT.AADARSH SENIOR SEC. SCHOOL-DHAYSAR	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
279	JAISALMER	8160202704	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL K.K. BAS POKARAN	Beauty & Wellness	NA
280	JAISALMER	8160300405	GOVT. SR.SEC. SCHOOL KANOI	Tourism & Hospitality	NA
281	JALORE	8180404011	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOOL NARSANA	Automotive	IT/ITeS
282	JALORE	8180507018	GOVT. SR. SEC. SCHOOL ARNAY	Banking, Financial Services & Insurance	Beauty & Wellness
283	JALORE	8180501813	GOVT. SR. SEC. SCHOOL SARNAU	Beauty & Wellness	IT/ITeS
284	JALORE	8180521105	GOVT. GIRLS. SR. SEC. SCHOOL SANCHORE	Beauty & Wellness	IT/ITeS
285	JALORE	8180106001	G.SR.SEC. SCH. BHAVRANI	Electronics & Hardware	IT/ITeS
286	JALORE	8180409220	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL BHINMAL	Healthcare	IT/ITeS
287	JALORE	8180800130	SANGHAVI LEHARIDEVI LADHAMALJI MARDIYA JAIN GOVT. SEN. SEC. SCHOOL CHITALWANA	Healthcare	Beauty & Wellness
288	JALORE	8180202623	GOVT. AADRASH Sr. Secondary School BAGRA	IT/ITeS	Organized Retail
289	JALORE	8180402401	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL JUNJANI	IT/ITeS	Healthcare
290	JALORE	8180700116	GOVT.ADRASH SEN.SEC.S.JASWANTPURA	IT/ITeS	Beauty & Wellness
291	JALORE	8180210201	GOVT. SR. SECONDARY SCHOOL JALORE	Agriculture	NA
292	JALORE	8180603310	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DANTWARA	Agriculture	NA
293	JALORE	8180306401	G.S.S.S. PIJOPURA	Beauty & Wellness	NA
294	JALORE	8180603907	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KARWARA	Beauty & Wellness	NA
295	JALORE	8180303201	ADARSH GOVT.SR.SECO.SCHOOL MENGLAWA	Electronics & Hardware	NA
296	JALORE	8180500104	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOORA KI DHANI	Electronics & Hardware	NA
297	JHALAWAR	8320216104	G.A.S.S.S., DURGPURA	Beauty & Wellness	Automotive
298	JHALAWAR	8320707003	GOVT GIRLS SSS AKLERA	Beauty & Wellness	Security
299	JHALAWAR	8320503519	GGSSS	Electronics & Hardware	Organized Retail
300	JHALAWAR	8320617327	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DAG	Healthcare	Telecom
301	JHALAWAR	8320815302	G.S.S.S. BHAWANIMANDI	Organized Retail	IT/ITeS
302	JHALAWAR	8320108138	GSSS KHANPUR	Tourism & Hospitality	IT/ITeS
303	JHALAWAR	8320248307	GSSS JHALAWAR	Tourism & Hospitality	IT/ITeS
304	JHALAWAR	8320700101	GSSS	Tourism & Hospitality	IT/ITeS
305	JHALAWAR	8320435602	G.SEC.S., NASIRABAD	Agriculture	NA
306	JHALAWAR	8320318601	GASSS CHANDIPUR	Beauty & Wellness	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
307	JHALAWAR	8320610301	GSSS SARWAR	Electronics & Hardware	NA
308	JHALAWAR	8320706403	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MAIN MARKET AKLERA	Electronics & Hardware	NA
309	JHUNJHUNU	8050310704	GOVT. GIRLS SR.SEC.SCHOOL RAJKALA CHIRAWA	Agriculture	Healthcare
310	JHUNJHUNU	8050212702	G SR. SEC. S BISAU	Automotive	Telecom
311	JHUNJHUNU	8050116002	SHAHID.COL.J.P.JANU.GOVT.SR.S EC.JJN	Electronics & Hardware	Banking, Financial Services & Insurance
312	JHUNJHUNU	8050802403	G SR. SEC. SCH. KED	Electronics & Hardware	Healthcare
313	JHUNJHUNU	8050707806	GOVT. SR.SEC.SCHOOL .PARASRAMPURA	Tourism & Hospitality	IT/ITeS
314	JHUNJHUNU	8050809105	G SR. SEC. S UDAIPURWATI	Tourism & Hospitality	IT/ITeS
315	JHUNJHUNU	8050306207	G SR.SEC.S. SULTANA	Agriculture	NA
316	JHUNJHUNU	8050709808	GOVT. SR. SEC. SCH. MAN SINGHKA NAWALGARH	Agriculture	NA
317	JHUNJHUNU	8050204406	GOVT. J.K. SR.SEC. S ALSISAR	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
318	JHUNJHUNU	8050416501	SHRI KRISHAN PARISAD GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SURAJGARH (215888) (08050416501)	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
319	JHUNJHUNU	8050507908	Govt. G SR SEC S BUHANA	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
320	JHUNJHUNU	8050404702	GOVT SEN SEC. SCHOOL DEVROAD	Automotive	NA
321	JHUNJHUNU	8050501606	MAHATMA GANDHI ENGLISH MEDIOUM SCHOOL GHARADANA KHURD	Automotive	NA
322	JHUNJHUNU	8050604209	G SR.SEC. S PAPURANA	Banking, Financial Services & Insurance	NA
323	JHUNJHUNU	8050106702	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BIBASAR	Beauty & Wellness	NA
324	JHUNJHUNU	8050211003	GOVT.SR.SEC. SCH. TAIN	Beauty & Wellness	NA
325	JHUNJHUNU	8050300117	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDRELLA	Beauty & Wellness	NA
326	JHUNJHUNU	8050413401	GOVT SR SEC SCHOOL WARD 2 PILANI	Beauty & Wellness	NA
327	JHUNJHUNU	8050713201	SMT. RAMA DEVI MURARKA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MUKUNDGARH	Beauty & Wellness	NA
328	JHUNJHUNU	8050404302	G.SR.SEN.SEC.(G) JEENI	IT/ITeS	NA
329	JODHPUR	8150506601	GSSS NEVRA ROAD	Beauty & Wellness	Healthcare
330	JODHPUR	8150911302	GGSSS BILARA	Beauty & Wellness	IT/ITeS
331	JODHPUR	8151602206	GASSS CHAMU	Beauty & Wellness	Healthcare
332	JODHPUR	8150215901	GGASSS S.M.B. PHALODI	Healthcare	Food Processing
333	JODHPUR	8150807301	GSSS MOGRA KALLA	IT/ITeS	Organized Retail
334	JODHPUR	8151500808	GSSS SIWANCHI GATE CHB	Organized Retail	Tourism & Hospitality
335	JODHPUR	8151208501	GASSS SETRAVA	Security	IT/ITeS
336	JODHPUR	8151008820	GASSS BAORI	Agriculture	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
337	JODHPUR	8150407404	GASSS AAGOLAI	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
338	JODHPUR	8150701001	GSSS DAIZER	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
339	JODHPUR	8150707404	GSSS DAI KADA	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
340	JODHPUR	8151308702	GSSS NOSAR	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
341	JODHPUR	8151107201	GASS KANKRALANADA	Banking, Financial Services & Insurance	NA
342	JODHPUR	8151407305	GGSSS PIPAR CITY	Beauty & Wellness	NA
343	JODHPUR	8151101401	GASSS INDO KA BAS	Electronics & Hardware	NA
344	JODHPUR	8151202502	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDLA KHURD	Electronics & Hardware	NA
345	JODHPUR	8150207001	GASSS MOKHERI	IT/ITeS	NA
346	JODHPUR	8150602501	GASSS DEVATADA	IT/ITeS	NA
347	JODHPUR	8150811713	GSSS DHAWA	IT/ITeS	NA
348	JODHPUR	8151701902	GSS GODARO KA BERA	IT/ITeS	NA
349	JODHPUR	8150111103	GASSS GHANTIYALI	Organized Retail	NA
350	JODHPUR	8150301901	GSSS SOMESAR	Organized Retail	NA
351	JODHPUR	8151503009	M.G.GOV.T.SCHOOL (ENGILSH MEDIUM) JALORI GATE JODHPUR	Organized Retail	NA
352	JODHPUR	8151603204	GSSS LAWARAN	Tourism & Hospitality	NA
353	KARAULI	8090203609	GSSS RATANJILA	Automotive	Electronics & Hardware
354	KARAULI	8090303518	GSSS NAGAL PAHARI	Automotive	Electronics & Hardware
355	KARAULI	8090202305	GSSS VIJAYPURA	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
356	KARAULI	8090218602	GSSS HINDAUN CITY	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
357	KARAULI	8090318304	GSSS TODABHIM	Beauty & Wellness	Food Processing
358	KARAULI	8090502845	GSSS SAPOTRA	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
359	KARAULI	8090106832	GSSS. FRIDOM FIGHTER CHING.LAL SHARMA	Healthcare	IT/ITeS
360	KARAULI	8090500207	MAHATMA GANDHI GOVT SCHOOL NAROLI DANG	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
361	KARAULI	8090601125	GOVT. SENIOUR SECONDARY SCHOOL SHYAMPUR	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
362	KARAULI	8090100527	GSSS KAILADEVI	Automotive	NA
363	KARAULI	8090102709	GSSS FATEHPUR	Electronics & Hardware	NA
364	KARAULI	8090402127	GSSS TIMABA	Electronics & Hardware	NA
365	KARAULI	8090313802	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SUJANPURA	Food Processing	NA
366	KARAULI	8090600706	GSSS BATDA	IT/ITeS	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
367	KHAIRTHAL-TIJARA	8060406102	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL ISMAILPUR	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
368	KHAIRTHAL-TIJARA	8060618201	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DOTANA	Automotive	NA
369	KHAIRTHAL-TIJARA	8060601102	GOVT.SR.SEC.SCHOOL KHIJURI BAS	Electronics & Hardware	NA
370	KOTA	8300111203	G.S.S.S. VINAYKA	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Healthcare
371	KOTA	8300125401	G.S.S.S. ITAWA	Automotive	IT/ITeS
372	KOTA	8300427104	G.S.S.S. RAMGANJMANDI	Automotive	IT/ITeS
373	KOTA	8300604431	G.G.S.S.S. SHRIPURA	Beauty & Wellness	Apparel Made-ups & Home Furnishings
374	KOTA	8300316804	G.S.S.S.KAITHOON	IT/ITeS	Healthcare
375	KOTA	8300407702	G.S.S.S. JULMI	IT/ITeS	Electronics & Hardware
376	KOTA	8300522504	G.S.S.S SANGOD	Agriculture	NA
377	KOTA	8300602210	G.S.S.S. SHRINATHPURAM	Agriculture	NA
378	KOTA	8300210508	G.S.S.S. KOTSUNWA	IT/ITeS	NA
379	KOTPUTLI-BEHROR	8120103101	GOVT SEN SEC SCHOOL PURAN NAGAR	Agriculture	NA
380	KOTPUTLI-BEHROR	8123004301	MAHATMA GANDHI GOVT (ENG.MEDIUM) SCHOOL PRAGPURA	Agriculture	NA
381	KOTPUTLI-BEHROR	8120213204	GOVT SER. SEC. SCH. VIRATNAGAR	Food Processing	NA
382	NAGAU	8140305009	GHSS JARODA KALLA	Beauty & Wellness	Agriculture
383	NAGAU	8140920503	GHSS JAWAHAR KUCHAMAN CITY	Beauty & Wellness	Healthcare
384	NAGAU	8141207602	S.J.R.G.D.B.GHSS PANCHLA SIDHA	Food Processing	Agriculture
385	NAGAU	8140412211	GHSS PARBATSAR	Healthcare	IT/ITeS
386	NAGAU	8140200308	GHSS ALNIYAWAS	IT/ITeS	Beauty & Wellness
387	NAGAU	8140807305	GHSS KALRI	IT/ITeS	Beauty & Wellness
388	NAGAU	8140402401	GHSS BIDIYAD	Agriculture	NA
389	NAGAU	8141114903	GHSS MAKRANA	Agriculture	NA
390	NAGAU	8141407202	GHSS NAWA CITY	Agriculture	NA
391	NAGAU	8140600505	GHSS BALDU	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
392	NAGAU	8140720849	GGHSS SON DEVI BANGUR DEEDWANA	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
393	NAGAU	8141307807	MAHATMA GANDHI GOVT SCHOOL TOSINA	Automotive	NA
394	NAGAU	8140308323	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL REN	Banking, Financial Services & Insurance	NA
395	NAGAU	8140905004	GHSS HIRANI	Banking, Financial Services & Insurance	NA
396	NAGAU	8140206801	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANWARIYAT	Beauty & Wellness	NA
397	NAGAU	8140210504	GGHSS RIYAN BADI	Beauty & Wellness	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
398	NAGAU	8141102140	GHSS BORAWAR	Beauty & Wellness	NA
399	NAGAU	8140107713	GSSS JHAGARWAS	Electronics & Hardware	NA
400	NAGAU	8140712601	GSS NIMBI KHURD	Electronics & Hardware	NA
401	NAGAU	8140817101	Govt Senior Secondary School Rathori Kuwa Nagaur	Electronics & Hardware	NA
402	NAGAU	8141405410	GHSS MAROTH	Electronics & Hardware	NA
403	NAGAU	8140109301	GHSS KHURI KALLAN	Food Processing	NA
404	NAGAU	8140611801	GGHSS SMT KESAR DEVI SETH LADNUN	Food Processing	NA
405	NAGAU	8140506201	GSS JHALALAR	IT/ITeS	NA
406	NAGAU	8141011813	GGSS SANKHWAS	IT/ITeS	NA
407	NAGAU	8141102103	GGHSS BORAWAR	IT/ITeS	NA
408	PALI	8200809301	G.G.S.SEC. SCHOOL TAKHATGARH	Beauty & Wellness	Telecom
409	PALI	8200307301	G.SR. SEC.S	Healthcare	IT/ITeS
410	PALI	8200900836	G.G.S.SEC.School. BALI	Healthcare	Beauty & Wellness
411	PALI	8201002707	G.SR.SEC. SCHOOL GHANERAO	IT/ITeS	Organized Retail
412	PALI	8201300201	G.S.SEC.S. RANI GAON	IT/ITeS	Tourism & Hospitality
413	PALI	8201712506	SHRI BANGUR GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PALI	IT/ITeS	Banking, Financial Services & Insurance
414	PALI	8201712602	G.G.S.SEC.S.	IT/ITeS	Beauty & Wellness
415	PALI	8200612501	G.SR.SEC.	Organized Retail	IT/ITeS
416	PALI	8200911202	G.S.SEC.SCHOOL KHUDALA	Organized Retail	Healthcare
417	PALI	8200209304	G.H.SEC.SCHOOL BABARA	Tourism & Hospitality	IT/ITeS
418	PALI	8200807702	G.S.SEC. SCHOOL, SUMERPUR	Tourism & Hospitality	Organized Retail
419	PALI	8200393604	GSSS..SOJAT CITY	Agriculture	NA
420	PALI	8200100202	G.S.SEC.S. JAITARAN WN 2	Banking, Financial Services & Insurance	NA
421	PALI	8200109806	G.S.SEC.S. DEORIYA	Beauty & Wellness	NA
422	PALI	8200915701	GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL BHARLA	Electronics & Hardware	NA
423	PALI	8201012404	G.G.S.SEC.S. SaDARI	Food Processing	NA
424	PALI	8200403801	G.SENIOR.SEC.SCHOOL SANWALATA KALLA	IT/ITeS	NA
425	PALI	8200904001	GOVT ADARSH SEN SEC.SCHOOL SEWARI	IT/ITeS	NA
426	PRATAPGARH	8331125030	GOVT GIRLS HR. SEC. SCHOOL	Beauty & Wellness	Tourism & Hospitality
427	PRATAPGARH	8331217801	GULAB CHAND MEWARI SR.SEC.SCH.CHHOTISADRI	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
428	PRATAPGARH	8331371762	GOVT. GIRLS SR.SEC. PRATAPGARH	Beauty & Wellness	Healthcare
429	PRATAPGARH	8330224401	G.S.S.S. SUHAGPURA	Healthcare	Security
430	PRATAPGARH	8331316805	GOVT. SR. SEC. THADA	Healthcare	Electronics & Hardware
431	PRATAPGARH	8330224409	G.S.S.S. MOTA MANGYA	Agriculture	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
432	PRATAPGARH	8331323201	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAGRODA	Agriculture	NA
433	PRATAPGARH	8331411701	G.Sr.SEC. MOHEDA	Automotive	NA
434	PRATAPGARH	8330204201	G.S.S.S.THECHLA	Construction	NA
435	PRATAPGARH	8331208301	G.S.S.S.SWRUPGANG	Construction	NA
436	PRATAPGARH	8330206018	GOVT SINOR SECONDARY SCHOOL LEVAPADA	Electronics & Hardware	NA
437	PRATAPGARH	8331326201	G.SR.SEC.SCHOOL BADILANK	Electronics & Hardware	NA
438	PRATAPGARH	8331416801	G.Sr.Sec.School BHACHUNDLA	IT/ITeS	NA
439	RAJSAMAND	8250405801	GOVT. SR.SEC.SCHOOL CHARBHUJA	Agriculture	Tourism & Hospitality
440	RAJSAMAND	8250315904	GOVT. SR. SEC. SCH. AMET	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
441	RAJSAMAND	8250110201	ADARSH GOVT.HR.SEC.SCH.KACHHBALI	Healthcare	Electronics & Hardware
442	RAJSAMAND	8250213803	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL DEOGARH	IT/ITeS	Beauty & Wellness
443	RAJSAMAND	8250614009	ADRASH GOVT SR SEC SCH RAJSAMAND	IT/ITeS	Healthcare
444	RAJSAMAND	8250510012	ADRASH GOVT. SR. SEC. S	Tourism & Hospitality	Beauty & Wellness
445	RAJSAMAND	8250611517	ADRASH GOVT. SR. SEC. SCH. MOHI	Tourism & Hospitality	Beauty & Wellness
446	RAJSAMAND	8250206606	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VIJAYPURA	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
447	RAJSAMAND	8250703019	Govt. Sr. Sec. School Railmagra	Automotive	NA
448	RAJSAMAND	8250520604	SHREE GOVERDHAN GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADA BAZAR NATHDWARA	Electronics & Hardware	NA
449	RAJSAMAND	8250512705	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BILOTA	IT/ITeS	NA
450	RAJSAMAND	8250516901	GOVT. Senior secondary SCHOOL KAGMADARDA	Tourism & Hospitality	NA
451	S.GANGANAGAR	8010846854	GOVT.HR.SEC.SCH. (RATHI) WN 25	Automotive	Electronics & Hardware
452	S.GANGANAGAR	8010109603	GOVT. GIRLS SEN. SEC. SCH	Beauty & Wellness	Apparel Made-ups & Home Furnishings
453	S.GANGANAGAR	8010336101	GOVT.SEN.SEC.SCH. (LALGARH JATTAN)	Beauty & Wellness	Plumbing
454	S.GANGANAGAR	8010426202	GOVT.GIRLS.SR.SEC.SCH.WNO PADAMPUR	Beauty & Wellness	Apparel Made-ups & Home Furnishings
455	S.GANGANAGAR	8010797401	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL, RAISINGHNAGAR	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
456	S.GANGANAGAR	8010948802	GOVT.GIRLS . SR . SEC. SCH. anoopgarh	Beauty & Wellness	Organized Retail
457	S.GANGANAGAR	8010530404	GOVT.SEN.SEC.SCH.,SRIVIJAYNAGAR	Electronics & Hardware	Telecom
458	S.GANGANAGAR	8010226004	GOVT SENIOR SECOUNDARY SCHOOL KARANPUR	Healthcare	Organized Retail
459	S.GANGANAGAR	8010333305	GOVT SEN. SEC.SCH. GANESH GARH	Healthcare	Security
460	S.GANGANAGAR	8010134101	GOVT. GIRLS SEN. SEC. SCH	IT/ITeS	Organized Retail
461	S.GANGANAGAR	8010724906	GOVT SEC SCH DABLA	Agriculture	NA
462	S.GANGANAGAR	8010620804	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ROJARI	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
463	S.GANGANAGAR	8010333606	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SADUL SHAHAR	Electronics & Hardware	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
464	S.GANGANAGAR	8010518703	GOVT.SEN.SEC SCH. 6 BLM(A)	Electronics & Hardware	NA
465	S.GANGANAGAR	8010850109	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOJEWALA	Food Processing	NA
466	SAWAI MADHOPUR	8100207601	G. SR SEC PIPALWARA	Beauty & Wellness	Automotive
467	SAWAI MADHOPUR	8100105301	G. SR SEC PIPLAI	Electronics & Hardware	IT/ITeS
468	SAWAI MADHOPUR	8100417710	G. SR SEC ASHOK FALODI QUARI	Electronics & Hardware	Automotive
469	SAWAI MADHOPUR	8100519704	G.SR.SEC.SCHOOL SAWAIMADHOPUR	Healthcare	Tourism & Hospitality
470	SAWAI MADHOPUR	8100302401	G.SR SEC SEWA	IT/ITeS	Security
471	SAWAI MADHOPUR	8100321203	GOVT SR SEC GANGAPUR CITY W-31	IT/ITeS	Security
472	SAWAI MADHOPUR	8100211622	G. G. SR. SEC. KHIRNI	Banking, Financial Services & Insurance	NA
473	SAWAI MADHOPUR	8100416803	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL LAHSODA	Beauty & Wellness	NA
474	SAWAI MADHOPUR	8100603401	G.SR.SEC.SCHOOL JHONPARA	IT/ITeS	NA
475	SAWAI MADHOPUR	8100500101	Gsss Jatwada Kalan	Tourism & Hospitality	NA
476	SIKAR	8130809106	GOVT.SR.SEC.SCH.SHRIMADHOPUR	AGRICULTURE	Beauty & Wellness
477	SIKAR	8130510601	GOVT.GIRLS SR.SEC R. KRI.M. SIKAR	Beauty & Wellness	IT/ITeS
478	SIKAR	8130811301	GOVT. SR.SEC.SCH.	Electronics & Hardware	Beauty & Wellness
479	SIKAR	8130216621	GOVT.SAVITRI G. SR.SEC.SCH.	Healthcare	Beauty & Wellness
480	SIKAR	8130118902	G.D.RUIYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARH SHEKHAWATI	IT/ITeS	Beauty & Wellness
481	SIKAR	8130301204	GOVT.ADARSH.SEC.SCH., SINGRAWAT	IT/ITeS	Agriculture
482	SIKAR	8130402712	GOVT.SR.SEC.SCH.	IT/ITeS	Beauty & Wellness
483	SIKAR	8130413924	GOVT.ADARSH SR.SEC.SCH.	IT/ITeS	Agriculture
484	SIKAR	8130601105	GOVT.SR.SEC.SCH.	IT/ITeS	Beauty & Wellness
485	SIKAR	8130613804	GOVT.SR.SEC.SCH KHANDELA	IT/ITeS	Beauty & Wellness
486	SIKAR	8130701708	GOVT.SR.SEC.SCH.	IT/ITeS	Healthcare
487	SIKAR	8130414202	GOVT. SR.SEC.SCH. ALODA	Agriculture	NA
488	SIKAR	8130804208	SHAHID GAJARAJ SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DIVRALA	Agriculture	NA
489	SIKAR	8130205904	SHAHID SHAKRU KHAN GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANGLUNA	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
490	SIKAR	8130114104	GOVT ADARSH SR.SEC.SCHOOL BALARA	Automotive	NA
491	SIKAR	8130417012	SHRI DEDRAJ KHETAN GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LOSAL	Banking, Financial Services & Insurance	NA
492	SIKAR	8130903205	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JELO	Banking, Financial Services & Insurance	NA
493	SIKAR	8130502501	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL KAHARO KI DHANI	Beauty & Wellness	NA
494	SIKAR	8130719301	JAMUNA DEVI GOVT.GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KHE.MODE NEEM KA THANA	Beauty & Wellness	NA
495	SIKAR	8130107802	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BIBIPUR	Electronics & Hardware	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
496	SIKAR	8130803810	SHAHID BHAIRURAM GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL, MUNDRU	Electronics & Hardware	NA
497	SIKAR	8130716104	GAJANAND MODI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NEEMKATHANA	Food Processing	NA
498	SIKAR	8130118901	H.R.RUIA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARH SHEKHAWATI	Healthcare	NA
499	SIKAR	8130408108	GOVT.GIRLS SEC.SCH. BAYA	IT/ITeS	NA
500	SIKAR	8130502606	MAHATMA GANDHI GOVT SCHOOL ENGLISH MEDIM GOKULPURA	IT/ITeS	NA
501	SIROHI	8190202502	AADARSHG.S.S. MUNGTHALA	Automotive	Beauty & Wellness
502	SIROHI	8190100101	AADARSH_G.S.SEC.S.	Beauty & Wellness	Security
503	SIROHI	8190110103	AADARSH_GSHS_GIRLS_PINDWARA	Beauty & Wellness	Healthcare
504	SIROHI	8190310304	AADARSH GHSS GIRLS SIROHI	Beauty & Wellness	IT/ITeS
505	SIROHI	8190210105	AADARSH_G.G.H.S.S.	Healthcare	Beauty & Wellness
506	SIROHI	8190510704	G.SEN.SEC.S. NIMBAJ	Healthcare	Beauty & Wellness
507	SIROHI	8190410601	AADARSH_GOVT_SR_SEC_SCHOOOL_SHEOGANJ	Organized Retail	IT/ITeS
508	SIROHI	8190303916	MAHATMA GANDHI GOVERMENT SCHOOL JAWAL	Automotive	NA
509	SIROHI	8190401501	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL SAWALI	Food Processing	NA
510	TONK	8220118102	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCH. MALPURA	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
511	TONK	8220228206	GOVT. SR. SEC. SCH. KOTHI NATMAM TONK	Beauty & Wellness	IT/ITeS
512	TONK	8220414903	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCH. TODARAISINGH	Beauty & Wellness	IT/ITeS
513	TONK	8220504018	GOVT. SR. SEC. SCH. DOONI	Beauty & Wellness	IT/ITeS
514	TONK	8220601126	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCH. ALIGARH	Beauty & Wellness	Healthcare
515	TONK	8220101918	GOVT. SR. SEC. SCH. TORDI	Healthcare	IT/ITeS
516	TONK	8220322701	GOVT. SR. SEC. SCH. NEWAI	IT/ITeS	Electronics & Hardware
517	TONK	8220520102	GOVT. SR. SEC. SCH. DEOLI	Security	IT/ITeS
518	TONK	8220313914	GOVT. SR. SEC. SCH. RAHOLI	Banking, Financial Services & Insurance	NA
519	TONK	8220228503	MAHATMA GANDHI GOVT. GIRLS SR. SEC. SCH. GULZARBAGH	Beauty & Wellness	NA
520	TONK	8220400401	GOVT. SR. SEC. SCH. BARWAS	Beauty & Wellness	NA
521	TONK	8220621804	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCH. UNIYARA	Food Processing	NA
522	TONK	8220202601	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL ARNIYAMAL	Healthcare	NA
523	TONK	8220217803	GOVT. SR. SEC. SCH. RANOLI	IT/ITeS	NA
524	UDAIPUR	8261700401	G.S.SEC.S.SAKRODA	Agriculture	Apparel Made-ups & Home Furnishings
525	UDAIPUR	8260108723	G.S.SEC.S.GOGUNDA	Automotive	IT/ITeS
526	UDAIPUR	8260300129	G.S.SEC.S.MAVLI	Automotive	IT/ITeS
527	UDAIPUR	8260430207	G.G.S.SEC.S.BHINDER	Beauty & Wellness	Organized Retail
528	UDAIPUR	8260708502	G.G.S.SEC.S.JHADOL	Beauty & Wellness	Healthcare

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	Sector 1	Sector 2
529	UDAIPUR	8261402001	G.S.SEC.S.SEMARI	Beauty & Wellness	Organized Retail
530	UDAIPUR	8261507601	G.S.SEC.S.JHALLARA	Beauty & Wellness	Organized Retail
531	UDAIPUR	8261403201	G.S.SEC.S.BALUA	Electronics & Hardware	Apparel Made-ups & Home Furnishings
532	UDAIPUR	8261302401	G.S.SEC.S.KOLYARI	Healthcare	IT/ITeS
533	UDAIPUR	8260801901	G.S.SEC.S.CHHANI	IT/ITeS	Healthcare
534	UDAIPUR	8261024804	G.S.SEC.S.SALUMBER	IT/ITeS	Healthcare
535	UDAIPUR	8261200217	G.S.SEC.S.SHRI KESHRIYAJI RISHABHDEO	IT/ITeS	Beauty & Wellness
536	UDAIPUR	8260316002	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL VASNI MAFI	Agriculture	NA
537	UDAIPUR	8260424701	G.S.SEC.S.NAVANIA	Agriculture	NA
538	UDAIPUR	8260615101	GOVT SER SEC SCHOOL PATHARPARI	Agriculture	NA
539	UDAIPUR	8260813402	G.S.SEC.S.KAKRA DUNGARA	Agriculture	NA
540	UDAIPUR	8260907203	G.S.SEC.S.PILADAR	Agriculture	NA
541	UDAIPUR	8261606506	G.S.SEC.S.KARDA	Agriculture	NA
542	UDAIPUR	8260618011	G.S.SEC.S.BEKRIYA	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
543	UDAIPUR	8260811406	G.S.SEC.S.SAROLI	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
544	UDAIPUR	8260431713	G.S.SEC.S.KANOR CHATUR	Beauty & Wellness	NA
545	UDAIPUR	8260420901	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL .MASINGHPURA	Electronics & Hardware	NA
546	UDAIPUR	8260202906	G.S.SEC.S.SUKHER	IT/ITeS	NA
547	UDAIPUR	8261108201	G.S.SEC.S.KALIBHIT	Organized Retail	NA
548	UDAIPUR	8260508805	G.S.SEC.S.KAYA	Tourism & Hospitality	NA
549	UDAIPUR	8260520007	G.S.SEC.S.FATEH SCHOOL SURAJPOLE	Tourism & Hospitality	NA